आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

सहयोग राशि
30/- ₹

मार्च 2022

क्रान्ति

मासिक



असमानता का दंश :
नीतियों पर हावी होता पूंजीवाद



HousE of WisdoM

ISLAMIC BOOKS | AUDIO / VISUALS | GIFTS / PRODUCTS

Students Centre, Opp. Law College,
Miramar, Panjim, Goa

Call: 0832 2462632, 9822163132

hikmahfoundationgoa@gmail.com, www.jihgoa.org

Please Visit

Address : Shop No 1, Opposite Law College, Miramar,
Db Marg, Panjim, Near Dr Supriya Kamat, Panaji-403001

www.kanti.in

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 31 अंक 09 मार्च 2022

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

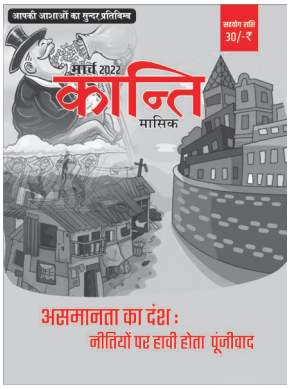

कान्ति
मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
हिजाब: राजनीतिक उन्माद और पश्चिमी उदारवाद के मध्य
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
'आत्म-सुधार' एक सफल जीवन की कुंजी
अब्दुल क़ुद्दूस हाशमी

सौंदर्य बोध 10
''गया वक़्त फिर हाथ आता नहीं!''
अदनान यूसुफ़

मुख्य स्तंभ 12
असमानता का दंश : नीतियों पर हावी होता पूंजीवाद
सुफ़ियान अहमद

विवेचना 15
स्थिति क्यों है गंभीर?
प्रो॰ सलीम इंजीनियर

विश्लेषण 19
स्पष्ट नीतियों का अभाव
प्रो॰ ज़फ़ीर अहमद

निष्कर्ष 22
धरातल पर उतरे न्यायिक समानता
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी

अभिमत 25
विकास और मानवीय दृष्टिकोण
गुंजन मिश्रा

समाधान 28
आदर्श आर्थिक मॉडल
डॉ॰ फ़रहत हुसैन

कविता 30
सरमायादारी
मजाज़

ज्वलंत 31
मानसिक स्वास्थ्य का दुर्लभ उल्लेख
संपादन प्रभाग

समसामयिक 34
अनावश्यक विवादों में हिजाब
वारिस हुसैन

व्यक्तित्व 37
न भूलो फ़र्क़ जो है,
कहने वाले करने वाले में
नईम अलहिन्दी

करियर 40
विज्ञापन के क्षेत्र में रोज़गार के बढ़ते अवसर
संपादन प्रभाग

कहानी 42
परदा
यशपाल

आख़िरी पन्ना 48
नैतिकता एवं सदाचरण: क़ुरआन की सामूहिक मांग
अमरपाल सिंह

मूल प्रश्न



हिजाब : राजनीतिक उन्माद और पश्चिमी उदारवाद के मध्य



शिब्ली अरसलान

कर्नाटक के मांडिया से गत दिनों वायरल होने वाला एक वीडियो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनता रहा। स्कूटी से कॉलेज कैंपस दाख़िल हो रही एक बुर्क़ाधारी छात्रा पर लड़कों का एक उन्मादी समूह 'जय श्री राम' के नारे के साथ उसे अपना बुर्क़ा और हिजाब हटाने कह रहा है। गले में भगवा गमछा और हाथ में भगवा झंडा लहराते उन लड़कों को अपनी तरफ़ बढ़ता देख,वो तन्हा लड़की 'अल्लाहु अकबर' की सदा लगा रही है। बाद में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में मुस्कान ख़ान नामक स्नातक की उस छात्रा ने बताया कि वह उन्मादी लड़कों के समूह को अपनी ओर बढ़ता देख कर डर गयी थी,स्वंय को स्थिर और मज़बूत बनाने के लिए उसने अल्लाह को पुकारा। स्पष्ट रहे कि 'अल्लाहु अकबर' का अर्थ है-ईश्वर सब से बड़ा है। इस वायरल वीडियो को देख कर ऐसे दर्दमंद समझदार लोग भी चीख़ पड़े जो हिजाब के समर्थक नहीं हैं।

इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही कर्नाटक में एक महीने से चल रहे हिजाब इशू पर ख़बरों, वीडियोज और तब्सिरों व बयानों की झड़ी लग गयी, उडुपी शहर का एक स्थानीय विवाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में परिवर्तित हो गया।

यदि आप इस मुद्दे को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वास्तव में भारत जैसे देश में अकारण और अनावश्यक तौर पर हिजाब को विवाद का विषय बनाया जा रहा है। हिजाब की आम समझ क्या है?घर से बाहर निकलने पर जवान महिलाओं द्वारा अपने बदन पर आउटर कवरिंग तथा सर को अच्छे से ढांपना। भारत जैसे धार्मिक-आध्यात्मिक देश में हर समुदाय के अंदरे यह प्रथा पायी जाती है। हिजाब यक़ीनन इस्लामी शब्दावली है, मगर पर्दे के लिए विभिन्न शब्द और स्वरूप अलग अलग समाजों में पाए जाते हैं। स्पष्ट रहे कि चेहरे के पर्दे को लेकर इस्लामिक स्कॉलर्स में भी मतांतर है (इसलिए कि क़ुरआन में चेहरा ढांपने का आदेश स्पष्ट शब्दों में नहीं है) मगर बदन और सर की स्पेशल कवरिंग को लेकर कोई मतांतर नहीं है।

हिजाब इशू पर सामने आने वाले वीडियोज़ का सब से दुखद पहलू है-'जय श्री राम' के नारे के साथ बा-पर्दा लड़कियों को कॉलेज जाने से रोकने की कोशिश..!

क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम इस अमर्यादित कृत्य के लिए लेना सनातन धर्म का अपमान नहीं? क्या सच्चे सनातनी, सांप्रदायिक हिंदुत्वा राजनीति को इस हद तक लाइसेंस दे देंगे?

लोग कह रहे हैं कि यूपी चुनाव के मद्दे नज़र सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे को हवा दिया जा रहा है, इससे यूपी में भाजपा को फ़ायदा हो जाएगा..

मुझे समझ नहीं आता कि यूपी के हिंदू संप्रदाय के लोग आख़िर हिजाब के विरोध से क्यों कर भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकृत हो जाएंगे?क्या सनातन धर्म पर्दा प्रथा का विरोधी है? एक युवती का अपना बदन,सर और चेहरा अपनी स्वेच्छा से ढकना किसी धार्मिक परंपरा में कदापि बुरा नहीं हो सकता, हर धर्म इसको एनकरेज करता है।

पश्चिमी आधुनिकतावाद से ऊर्जावान लोगों की हिजाब से परेशानी तो समझ में आती है कि उनके कथित 'स्त्री मुक्ति और नारी स्वतंत्रता' की राह में औरतों का शालीन और बा-पर्दा रहना सब से बड़ी रुकावट है, मगर ईश्वर की अवधारणा पर आधारित सनातनी वैदिक परम्परा के झंडाबरदार भी हिजाब से चिढें, इस पर हैरत होती है। सेक्युलर और लिबरल खेमा इस पर बहस कर रहा कि इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य है या नहीं?

यह बहस तो तब उचित होती जब कोई मुस्लिम मैनेजमेंट शिक्षण संस्थान सारी मुस्लिम लड़कियों को हिजाब का पाबंद करता। यहां मुद्दा दूसरा है और समझना बेहद आसान है-मुद्दा यह है कि क्या कोई लड़की या चंद लड़कियां अपनी पसंद से हिजाब धारण करें तो आधुनिकता और सेकुलरिज़्म



के तबला वादक इसे कुबूल करेंगे या ''forced westernization'' अर्थात 'उधारवाद' ही उनका उदारवाद है?

उदार होना तो रैशनल, व्यापक, समावेशी और कुशादा होना है। ऐसा लगता है कि आधुनिकता और उदारवाद, प्रतिक्रियावाद का रूप लेता जा रहा है। मज़हब के अंधविरोध से इसे ऊर्जा मिल रही है। मज़हबी कट्टरता यदि चेहरा बंद बुर्क़ा थोपती है तो इसके विरोध में अति प्रतिक्रिया स्वरूप आधुनिकतावादी नंगेपन के समर्थन में खड़े नज़र आते हैं। कैसी विडंबना है कि उदारता के नाम पर 'कुछ भी चलेगा' के हामी हिजाब रूपी एक शालीन ड्रेस को गुलामी का सिम्बल क़रार देते हैं। आख़िर यह कैसी मॉडरनिटी और उदारवाद है कि हम महिलाओं के कपड़े कम करते चले जा रहे हैं। कितनी दयनीय है ये मेन्टेलिटी कि महफिलों और पार्टियों में मर्द कोट-पतलून के साथ 'कंठ घोंटू' टाई तक लगाए रखते हैं, जबकि औरतें कम से कम और बारीक से बारीक कपड़े धारण कर रही हैं।

जो जितना बड़ा/बड़ी सेलेब्रेटी है, उसकी हालत उतनी ही क़ाबिल-ए-तरस है। परिणामस्वरूप सेलेब्रिटीज़ के क्रेज़ी फैन्स की हालत भी रहम खाने योग्य है। मेरा ख़याल है कि बहस और अटैक इस मेन्टेलिटी पर होना चाहिए, न कि हिजाब के फ़ायदा गिनाने और इसके डिफेंस पर ऊर्जा नष्ट की जाए। हिजाब का बचाव बंद करो,शलीलता के दुश्मनों पर अटैक करो, उसे बचाव की मुद्रा में पहुंचा दो... अस्ल सवाल तो मर्द-औरत के लिबास के हवाले से शालीनता और सुघड़ता का है..इस्लाम इसी से बहस करता है न कि किसी युनिफार्म और ड्रेसकोड से। ■■

“ऐ आदम की संतान, इबादत के प्रत्येक अवसर पर अपनी शोभा धारण करो; खाओ और पियो, परन्तु हद से आगे न बढ़ो। निश्चय ही वह हद से आगे बढ़ने वालों को पसन्द नहीं करता। (कुरआन, 7:31)”

Unitech Industrial Traders

(GOA)

चिंतन



अब्दुल क़ुद्दूस
हाशमी

"आत्म-सुधार"

एक सफल जीवन की कुंजी

एक सफल जीवन गुज़ारने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वह ''आत्म-सुधार'' है। यदि आप ख़ुद में सुधार करके अपनी कमज़ोरियों को ताक़त में और अपने संदेहों को विश्वास में नहीं बदलेंगे, तो आपका हर कार्य और हर व्यवहार आपको असफलता की ओर ले जाएगा। किसी कार्य में सफलता के लिए सिर्फ़ यही काफ़ी नहीं कि इसके लिए आप एक अच्छी योजना बना लें, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि आपको उसमें सफलता का विश्वास हो। आप अपनी कार्य योजना से संतुष्ट हों, फिर इस कार्य योजना के अनुसार, जब आपका क़दम उठे तो वह समझा- बूझा और संतोषजनक रास्ते पर हो। इसके बाद आपके कार्य की प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहेगी और आप अपने इस कार्य को पूरी ख़ुशी के साथ तब तक जारी रख पाएंगे, जब तक आप पूरी तरह से सफल न हो जाएं।

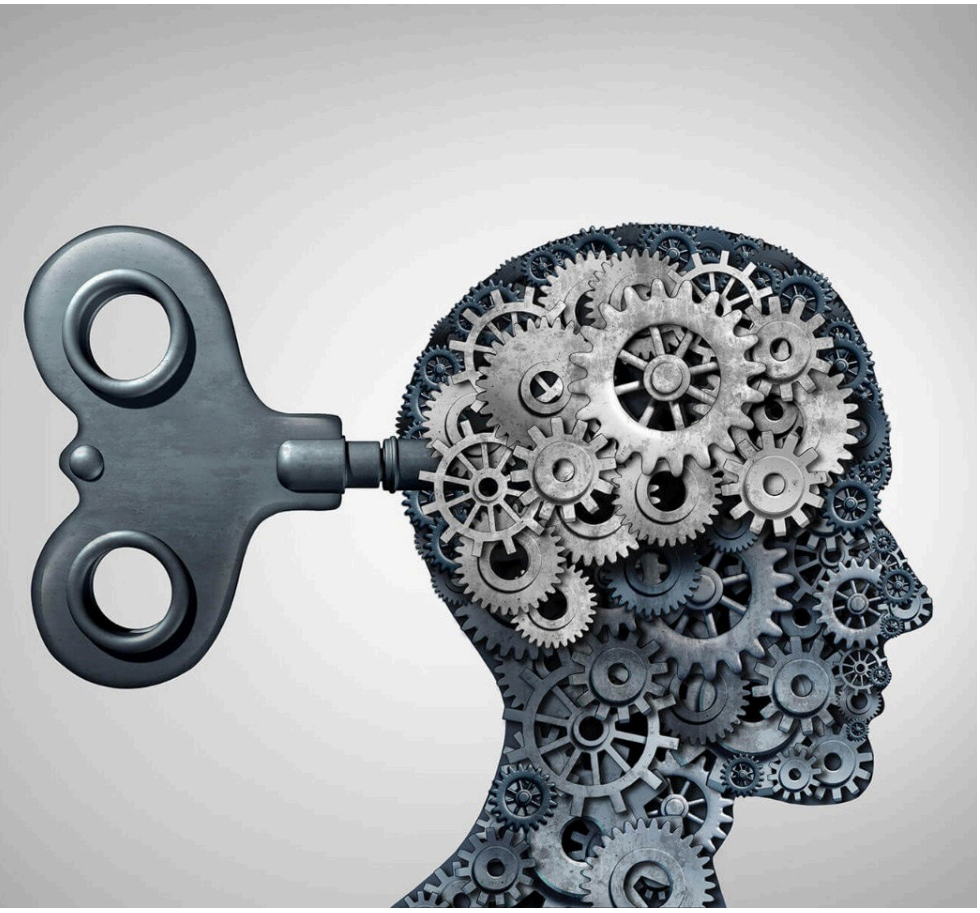

किसी कार्य को करने के लिए यह ज़रूरी है कि कार्य करने वाला उस कार्य के परिणामों एवं उद्देश्यों को लेकर पूरी तरह संतुष्ट हो। कार्य करने का आधार विश्वास है संदेह नहीं है, इसलिए विश्वास के बिना व्यक्ति दुनिया में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और विश्वास पैदा करने के लिए लगातार 'आत्मावलोकन' कर स्वयं की कमज़ोरियों और विचारों

किसी कार्य को करने के लिए यह ज़रूरी है कि कार्य करने वाला उस कार्य के परिणामों एवं उद्देश्यों को लेकर पूरी तरह संतुष्ट हो। कार्य करने का आधार विश्वास है संदेह नहीं है, इसलिए विश्वास के बिना व्यक्ति दुनिया में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और विश्वास पैदा करने के लिए लगातार 'आत्मावलोकन' कर स्वयं की कमज़ोरियों और विचारों की विषमताओं को सुधारने की आवश्यकता होती है। बाहर जो कुछ दिखाई देता है, वह मन और विचारों की दुनिया का प्रतिबिंब है। यदि विचारों में सुधार न हो सका तो स्वयं का भी सुधार नहीं होगा और न ही मन में विश्वास पैदा हो सकेगा।

की विषमताओं को सुधारने की आवश्यकता होती है। बाहर जो कुछ दिखाई देता है, वह मन और विचारों की दुनिया का प्रतिबिंब है। यदि विचारों में सुधार न हो सका तो स्वयं का भी सुधार नहीं होगा और न ही मन में विश्वास पैदा हो सकेगा। इस मनोस्थिति का प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ेगा और व्यवहार का प्रभाव परिणामों पर। कुछ लोग परिवेश का रोना रोते हैं और ग़लतफ़हमी से यह समझते हैं कि उनके विचार परिवेश के प्रभावों से किसी प्रकार मुक्त नहीं हो सकते। यह सही है कि विचारों पर परिवेश का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह सोचना सही नहीं है कि इन्सान अपने परिवेश से ऊपर नहीं उठ सकता। इन्सान अपने परिवेश से ऊपर उठ सकता है और उसे उठना चाहिए। इसके लिए निम्न तरीक़ों को अपनाया जा सकता है–

पहला : इसके लिए सबसे पहला तरीक़ा यह है कि अपने विचारों का अवलोकन करें। बार-बार अवलोकन कर इनमें सही और ग़लत की समझ पैदा करें। यह एक कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं। सब कुछ सामने रखें। धर्म से बेहतर पैमाना कोई उपलब्ध नहीं करा सकता। यह केवल आस्था या भक्ति नहीं, बल्कि अनुभव की बात है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के आदर्श उदाहरण और उनके पवित्र जीवन को मानक बनाकर अपने विचारों की जांच-पड़ताल करते रहें। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद, सही और ग़लत की समझ हो जाएगी।

दूसरा : इसके बाद सुधार पर ध्यान दें। इस बिंदु पर आप देखेंगे कि आपका परिवेश धीरे-धीरे नीचे जा रहा है और आप उससे ऊपर उठ रहे हैं। जैसे-जैसे आपके विचारों में सुधार होता जाएगा, आपकी आदतें बदलती जाएंगी, कमज़ोरियां दूर होती जाएंगी और इरादों में मज़बूती पैदा होने लगेगी।

तीसरा : दूसरे चरण के अंत में, आप देखेंगे कि संदेह विश्वास के लिए रास्ते छोड़ रहे हैं और विचारों की विषमताओं में विश्वास का एक स्पष्ट और सरल मार्ग पैदा हो रहा है। इसका प्रभाव आपके कार्यों में परिलक्षित होगा और आपको तीव्र आंतरिक प्रेरक शक्ति की अनुभूति होने लगेगी। काल्पनिक और भ्रम के ख़तरे दूर होने लगेंगे। इस बिंदु पर यह ज़रूरी है कि आप अपने विचारों में सुधार के साथ-साथ अपने कार्यों और व्यवहारों की समीक्षा करना भी शुरू कर दें और प्रतिदिन सोने से पहले, कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सुकून के साथ सुबह से शाम तक की अपनी हर हरकत और अपने हर व्यवहार को याद करिए, ग़ौर करिए और पता लगाइए कि आपके हरेक कार्य और व्यवहार के पीछे कौन से विचार कार्य कर रहे थे। आप अपने किसी भी कार्य और व्यवहार में विचारों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते।

जेम्स एलन ने कहा है कि, ''हर व्यक्ति अपने ही ख़्यालों की वादियों में भटकता है। किसी व्यक्ति के जीवन की बाहरी परिस्थितियां हमेशा उसकी आंतरिक मान्यताओं का प्रतिबिंब होती हैं।'' बाहरी निर्देश भीतर से प्राप्त होते हैं। भौतिक दुनिया मन की दुनिया की ही प्रतिक्रिया है। घटनाएं विचारों का ही प्रवाह हैं और परिवेश इन्हीं विचारों का मिश्रण है।

इस प्रकार, जब आप अपने कार्यों और व्यवहारों का निरीक्षण करेंगे, तो आपको अपनी कई असामान्य आदतें नज़र आएंगी। जिनके पीछे विचार और ख़्याल दिखाई देंगे और बिना किसी अनुरूपता के आपको यह भी नज़र



आएगा कि ये कितने बेकार और ग़लत विचार थे। उस समय, आप स्वयं अपने ही दोषपूर्ण विचारों पर हंस पड़ेंगे।

इसी तरह, आप अपने कार्यों और अपनी आदतों की समीक्षा करते रहें। धीरे-धीरे सभी बुरी आदतें, भ्रामक विचार और ग़लतियों का सुधार होता रहेगा। यहां तक कि एक वक़्त ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि आप अपने परिवेश से काफ़ी ऊपर उठ गए हैं और जिन विचारों के मिश्रित रूप का नाम परिवेश है, आपके विचार उन विचारों से अलग हैं। जिन प्रकार के कार्यों और व्यवहारों से आपका परिवेश भरा हुआ है, आपको स्वयं अपने विचार, आदतें और व्यवहार उनसे बेहतर नज़र आने लगेंगे और आपको एक सुखद आत्मविश्वास का अनुभव होगा।

चौथा : चौथे चरण में यानी जब आपके विचारों में सुधार हो गया, विश्वास पैदा हो गया है और इसके मार्गदर्शन में आपके कार्य, व्यवहार और आदतें सही रास्ते पर आ गईं, तब आपके विचारों, कार्यों और व्यवहारों का प्रभाव परिवेश पर पड़ने लगेगा। उस समय आप परिवेश के अधीन नहीं होंगे, बल्कि परिवेश आपके ही विचारों से निर्मित हो रहा होगा। उस समय आप जिस मक़सद को लेकर उठेंगे उसमें आपके क़दम मज़बूत होंगे और सफलता हर क़दम पर आपके क़दम चूमेगी। यह सोचकर घबराना नहीं चाहिए कि उपरोक्त चारों चरणों से गुज़रने में लंबा समय लगेगा। देखिए, यह आपकी पहली कमज़ोरी है, इसे दूर करिए। कभी-कभी ये सभी चरण पलक झपकते ही गुज़र जाते हैं और एक या दो महीने में तो, दुनिया में कई लोगों ने इन सभी चरणों को तय कर लिया है। इसलिए कोई कारण नहीं है कि आप इन चरणों को जल्द से जल्द तय न कर लें। आप दूसरों की तुलना में ज़्यादा आसानी के साथ इन चरणों को तय कर लेंगे और आप देखेंगे कि आप इस तरकीब से किस आसानी से अपने आपको पूरी तरह से बदलने में सफल हो जाते हैं। फिर इस बदले हुए जीवन में आप किस प्रकार प्रसन्न और सफल व्यक्ति होते हैं। ■■

जेम्स एलन ने कहा है कि, "हर व्यक्ति अपने ही ख़्यालों की वादियों में भटकता है। किसी व्यक्ति के जीवन की बाहरी परिस्थितियां हमेशा उसकी आंतरिक मान्यताओं का प्रतिबिंब होती हैं।"



सौंदर्य बोध

अदनान यूसुफ़

"गया वक़्त फिर हाथ आता नहीं!"

यूं तो जब तक जीवन है तब तक हर ग़लत को कुछ सही कर देने का मौक़ा रहता है, लेकिन अच्छा नतीजा तो तभी मिल सकता है जब शुरु से सही किया गया हो। गया समय हाथ नहीं आता और गया जीवन भी, लेकिन जो समय भी अभी है, अगर उसमें भविष्य के इन नतीजो की समझ पैदा कर ली जाये तो शायद अभी भी नतीजों पर असर अंदाज़ होने का मौक़ा है।

40+की उम्र के बाद हमारे ग़लत फ़ैसले, बुरी आदतें, लापरवाहियां और ज़िन्दगी के प्रति ग़ैर संजीदा रवैया अपने फल देना शुरू कर देते हैं। इसका पहला चरण सेहत से जुड़ा होता है, दूसरा चरण कमोबेश 50 के बाद आता है, जो परिवार ख़ासकर औलाद से जुड़ा होता है, तीसरा 60 के बाद जब आर्थिक फ़ैसलों के फल आने लगते हैं और आख़िरी तक़रीबन 70 के बाद जो सामाजिक रवैयों के नतीजे दिखाना शुरू कर देता है। यह एक अनुमानित सीमाबंदी है, लेकिन कहने का मर्म यह है कि हमें अपने जीवन में लिये गये फ़ैसलों और रवैयों का फल इसी जीवन में मिलना शुरू हो जाता है।

40 से पहले भी हम बाल झड़ने की शिकायत कर रहे हो सकते हैं, लेकिन 40 के बाद गंज दिखाई देने लगता है,



इसी के बाद ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की समस्याएं सामने आने लगती हैं, आंखों पर चश्मा लगने की नौबत आती है, और कमर में दर्द शुरू हो जाता है।

50 से पहले भी औलाद के स्वर में तेज़ी, ग़ुस्सा, रिश्तों की दूरी, व उनका अपनी ज़िन्दगी को लेकर सीरियस न होना आदि का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 50 के बाद औलाद का यह स्वभाव पक्का होता दिखना शुरू हो जाता है। इतना पक्का कि वह हमें दुख देना शुरू कर दे।

60 के बाद की आर्थिक परेशानियां उससे कहीं ज़्यादा बुरी व ख़तरनाक होती हैं, जिसका शिकवा हमने सारी जिंदगी किया होता है। अब हमें याद आता है कि हमने यह किया होता तो ऐसा हो जाता, वह किया होता तो वैसा हो जाता।

और 70 के बाद हमारी कुछ अकांक्षाएं अपने परिवार के बाहर समाज से भी होती हैं, जो पूरी होती नहीं दिखतीं और हम समाज को कोसने का काम तेज़ी से शुरू कर देते हैं।

इन सारे नतीजों से गुज़रते हुये हम सिर्फ़ पहले पड़ाव पर संजीदगी से कभी ख़ुद को ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन आगे के सारे दोष हम दूसरों पर मढ़ते चले जाते हैं, ताकि ख़ुद को अपने सामने शर्मिंदा न करना पड़े। क़ुरआन कहता है ''वलौ अलक़ा मआज़ीरह'' (No matter what excuses you present now) क्योंकि अस्ल समस्या यह नहीं कि परिणामों का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, अस्ल समस्या तो यह है कि यह परिणाम तो सिर्फ़ हमें और हमें ही भुगतने होते हैं।

यूं तो जब तक जीवन है तब तक हर ग़लत को कुछ सही कर देने का मौक़ा रहता है, लेकिन अच्छा नतीजा तो तभी मिल सकता है जब शुरू से सही किया गया हो। गया समय हाथ नहीं आता और गया जीवन भी, लेकिन जो समय भी अभी है, अगर उसमें भविष्य के इन नतीजो की समझ पैदा कर ली जाये तो शायद अभी भी नतीजों पर असर अंदाज़ होने का मौक़ा है। अपनी सेहत, अपनी औलाद की तरबियत, अपनी फ़ज़ूल ख़र्चियों, आलस और समाज को गंदा करने या उससे कटे रहने की आदतों पर कुछ मेहनत कर ली जाए, तो उम्मीद है कि कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलें। और हां एक नतीजा ज़िन्दगी के बाद का भी है, उस पर फिर कभी .....। ■■

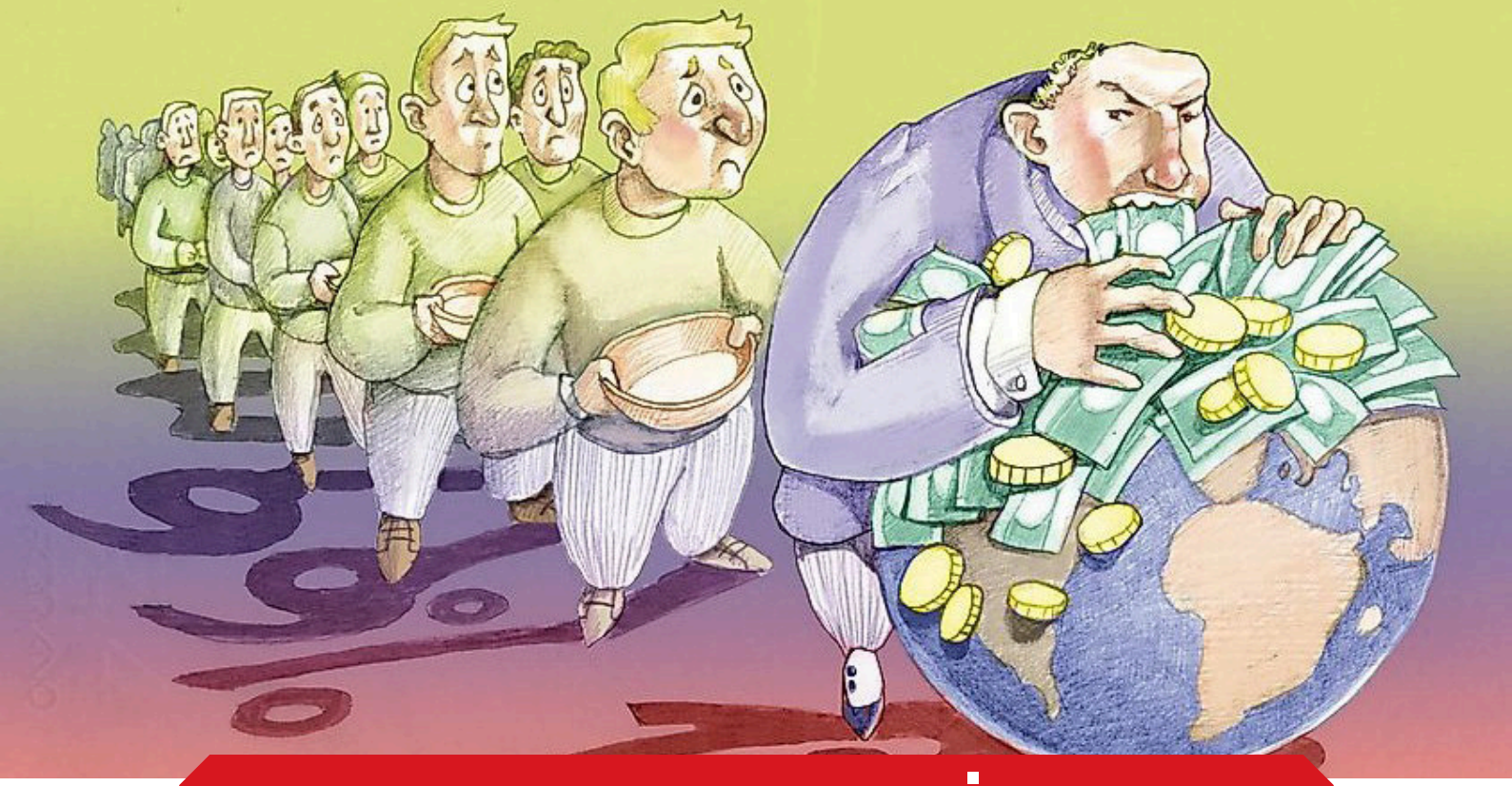

असमानता का दंश

नीतियों पर हावी होता पूंजीवाद

"जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल की ओर बस्तियों वालों से लेकर पलटाया वह अल्लाह और रसूल के नातोदार और अनाथों और मुहताजों और मुसाफ़िरों के लिए है, ताकि वह (माल) तुम्हारे मालदारों ही के बीच चक्कर न लगाता रहे।" (क़ुरआन, 59:7)

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि वह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए धन एवं सम्पत्ति अर्जित करे और राज्य का यह कर्त्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की इस स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में आने वाली बाधाओं को दूर करे, साथ ही समाज के कमज़ोर वर्गों को सशक्त करने के लिए नीतियों का निर्माण कर उन्हें धरातल पर क्रियान्वित करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ''समानता'' एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव-समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। आज समानता एक व्यापक रूप से स्वीकृत आर्दश है, जिसे अनेक देशों के संविधान और क़ानूनों में शामिल किया गया है। फिर भी आज समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाए असमानता ही अधिक नज़र आती है। क़ानून जो वादा करता है और जो हमारे चारों ओर मौजूद

है, उनके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा सामना सिद्धांत एवं व्यवहार के विरोधाभास से होता है।

हम एक ऐसी जटिल दुनिया में रहते हैं जिसमें, धन-संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति और वित्त की भारी असमानताएं मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमें इस तरह की असमानताओं से चिंतित होना चाहिए,? क्या ये सामाजिक जीवन के स्थाई और अपरिहार्य लक्षण हैं? क्या ये असमानताएं हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों के द्वारा पैदा होती हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो आज भी मानवता के सामने मुंह बाये खड़ें हैं।

इन्हीं सवालों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल आर्थिक असमानता का है। आर्थिक असमानता ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें समाज में व्यक्तियों और वर्गों के बीच बीच धन, दौलत या आमदनी में ख़ासी भिन्नता विद्यमान हो। 'विश्व असमानता रिपोर्ट 2022' के अनुसार, दुनिया की सबसे ग़रीब आधी आबादी के पास 'मुश्किल से कोई संपत्ति है' (कुल संपत्ति का मात्र 2 प्रतिशत), जबकि दुनिया की सबसे अमीर 10 प्रतिशत आबादी के पास कुल संपत्ति का 76 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है।

हाल में ही वैश्विक संस्था ऑक्सफेम ने अपनी आर्थिक असमानता संबंधी रिपोर्ट जारी की है, जो बताती है गत दो वर्षों के दौरान महामारी के बावजूद दुनिया भर में धनपतियों का ख़ज़ाना तेज़ी से बढ़ा है और भारत की स्थिति तो बेहद चिंताजनक है। यहां 84 प्रतिशत परिवारों की आमदनी कम हो गई, लेकिन अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है।

इतना ही नहीं मार्च 2020 से लेकर 30 नवम्बर, 2021 के बीच अरबपतियों की आमदनी में लगभग 30 लाख करोड़ रुपये का इज़ाफ़ा हुआ है और वह 23.14 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जबकि 2020 में 4.6 करोड़ से अधिक नए भारतीय अति-ग़रीब बनने को विवश हुए। इन सबके बावजूद एक तरह से यही कहा जाएगा कि रिपोर्ट में कोई ख़ास बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि, ऑक्सफेम अरसे से यही बात कह रही है। इसके अलावा 'विश्व असमानता रिपोर्ट 2022' के अनुसार, भारत अब दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है।

भारत सहित दुनिया भर में आर्थिक असमानता की विकरालता का अंदाज़ा ऑक्सफेम की इस ताज़ा रिपोर्ट से आसानी से लगया जा सकता है। ''असमानता से मौत होती है'' इस शीर्षक से ऑक्सफेम रिपोर्ट में पहली बार बताया गया कि आर्थिक असमानता के कारण दुनिया में हर रोज़ 21 हज़ार लोगों की मौत हो जाती है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि यह एक आर्थिक हिंसा है। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि महामारी जहां ग़रीबों के लिए मौत बन कर आई, वहीं अमीरों की दौलत में बेतहाशा इज़ाफ़ा हुआ, क्योंकि उनकी दौलत पिछले 14 वर्षों से ज़्यादा इन दो वर्षों में बढ़ी। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट ने इस असमानता के असर को विस्तार से बताते हुए कहा कि जहां एक ओर ग़रीबों पर बहु-आयामी मार पड़ी, जिससे मौतें हुईं वहीं दूसरी ओर 39 प्रतिशत नए लोग देश के में अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए।

यह कड़वा सच हम सभी के सामने है कि दुनिया की कुल दौलत के बहुत बड़े हिस्से पर चंद मुट्ठी भर लोगों का क़ब्ज़ा है और इस सच से भी इन्कार

यह कड़वा सच हम सभी के सामने है कि दुनिया की कुल दौलत के एक बहुत बड़े हिस्से पर चंद मुट्ठी भर लोगों का क़ब्ज़ा है और इस सच से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि अमीर के और अमीर बनने के पीछे सरकारी नीतियां ही होती हैं। जहां तक भारत का सवाल है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहां सरकारी नीतियों पर पूंजीवाद तेज़ी से हावी होता जा रहा है। वास्तविकता यह है कि आज हमारे देश में पूंजीवाद के दबदबे ने सरकार को मजबूर किया है कि उसकी ज़रुरतों व बाज़ार की मांग के अनुरुप नीतियां बनें।



नहीं किया जा सकता कि अमीर के और अमीर बनने के पीछे सरकारी नीतियां ही होती हैं। जहां तक भारत का सवाल है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहां सरकारी नीतियों पर पूंजीवाद तेज़ी से हावी होता जा रहा है। वास्तविकता यह है कि आज हमारे देश में पूंजीवाद के दबदबे ने सरकार को मजबूर किया है कि उसकी ज़रूरतों व बाज़ार की मांग के अनुरूप नीतियां बनें। वर्ष 2014 से निजीकरण को मानो हमारी सरकार ने नीति के रूप में अंगीकृत कर लिया है। जानकारों का मानना है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में निजीकरण को बढ़ावा देना एक सीमित दायरे में ही व्यावहारिक सिद्ध होगा। मुनाफ़े में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण समझ से परे है। निजीकरण को अत्याधिक बढ़ावा देना आर्थिक समानता और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में बाधक है। हमारे देश की सामाजिक स्थिति ऐसी है कि इसके सम्पूर्ण विकास के लिए यह ज़रूरी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को न केवल बनाए रखा जाए, बल्कि उसका विकास भी किया जाए अनियंत्रित, निजीकरण से अंततः पूंजीवाद मज़बूत होगा। जो बाद में समाज में आर्थिक असमानता की खाई को बढ़ाएगा।

वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने करों में छूट देकर देश के पूंजीपति वर्ग को दो लाख करोड़ रुपये की माफ़ी दे दी। जबकि, 2016 में हुई नोटबंदी और 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किए जाने के कारण 2018 तक हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और विकास दर 8.25 प्रतिशत से घटकर चार प्रतिशत पर आ गई थी। ऐसे में, मदद की ज़रूरत धनाढ्यों को नहीं, ग़रीबों को थी। असंगठित क्षेत्र के लोग थे, जिनको सहायता मिलनी चाहिए थी, मगर वे मुंह ताकते रह गए और मलाई धनाढ्य ले उड़े, जबकि पिछले पांच वर्षों से लोगों की वास्तविक आमदनी नहीं बढ़ी है।

इसलिए ऐसी आर्थिक नीतियों की ज़रूरत है जो ग़रीबों को भी ख़ुशहाली की ओर ले जाने वाली हों, यानी रोज़गार पैदा करने वाली हों। काम होगा, हाथ में पैसा आएगा, तभी लोग ग़रीबी के चंगुल से निकल पाएंगे। ऑक्सफैम ने सलाह दी है कि भारत को आयकर ढांचे की पुनर्संरचना करनी चाहिए ताकि बेशुमार संपत्ति अर्जित करने वाले छोटे से वर्ग पर टैक्स बढ़ाकर राजस्व में वृद्धि की जा सके जिसे स्वास्थ्य, शिक्षा और ग़रीबों के कल्याण में लगाया जा सके। कोरोना काल में आर्थिक पहिया चलाते रहने के लिए दुनिया की सरकारों ने 16 ट्रिलियन डॉलर 'आर्थिक रिलीफ पैकेज' के नाम पर ख़र्च किया जिससे स्टॉक की क़ीमतें बढ़ीं और इससे अंततः पूंजीपतियों की ही आमदनी में भारी इज़ाफ़ा हुआ। ऑक्सफैम के अनुसार, ऐसी आमदनी पर भारी कर लगाकर सरकारों को ग़रीबों तक राहत पहुंचानी चाहिए।

हमारे देश में आर्थिक असमानता की चौड़ी होती खाई उस घुन की तरह है जो अंदर ही अंदर हमारे समाज को खोखला बनाता जा रहा है। आर्थिक असमानता के कारण ही आज समाज में अमीरों और अरबपतियों की संख्यां तो बढ़ रही है, लेकिन देश के ग़रीब लोग या तो जिस हाल में थे आज भी वही पर खड़े हैं या नहीं तो और ग़रीब ही होते जा रहे हैं। आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय का नींव है। आर्थिक न्याय के बिना हम सामाजिक न्याय की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे नीति निर्माताओं को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा और ऐसे प्रावधान करने होंगे जो आर्थिक असमानताओं को कम करने में मील का पत्थर साबित हों। आर्थिक सुधारों की रूपरेखा कुछ ऐसे तय करनी होगी, जिससे कि आय की इस भारी असमानता को कम किया जा सके। इसके लिए यह ज़रूरी है कि सरकार काम करने के अपने तौर-तरीक़ों को बदले। जब तक सरकारों की प्राथमिकता में किसान, मज़दूर और ग़रीब तबके नहीं होंगे, अमीरी और ग़रीबी की चौड़ी होती खाई को कम नहीं किया जा सकेगा। ■■



स्थिति क्यों है गंभीर?

विवेचना



प्रो. सलीम इंजीनियर

देश की आज़ादी के बाद सात दशकों का सफ़र हमने तय किया है। यक़ीनन हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में बहुत-प्रगति की है। हम एक परमाणु शक्ति भी बन गए हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी हमने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया में हमारे युवाओं ने अपना लोहा मनवाया है। इन सब कामयाबियों पर हमें ख़ुशी और गर्व है और होना भी चाहिए। आज़ादी के बाद हमने इस देश की विविधता को सामने रखकर एक कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का निर्णय किया और धर्मनिरपेक्षता को हमने धर्मविहीनता या धर्म को नकारने के अर्थ में न लेकर इस अर्थ में लिया कि यहां हर नागरिक को धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, राज्य किसी एक धर्म या आस्था को ज़्यादा महत्व नहीं देगा, बल्कि राज्य की निगाह में हर धर्म व आस्था का समान रूप से सम्मान किया जाएगा और धर्म के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

हमने इन सब वास्तविकताओं को स्वीकारते हुए एक ऐसा संविधान बनाया और अपनाया जो यहां के सभी नागरिकों को समानता की निगाह से देखता हो। संविधान के बुनियादी मूल्यों को हमने देश का आधार बनाया, ये बुनियादी मूल्य हैं- स्वतंत्रता, समानता, न्याय और आपसी भाईचारा।

इस पहलू से आज सात दशक बाद ईमानदारी से जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि इन मूल्यों के आधार पर देश व समाज के निर्माण का हमारा जो स्पप्न था वह किस हद तक पूरा हुआ? हमने जो एक कल्याणकारी राज्य बनने का फ़ैसला लिया था, उसमें हम कहां तक सफल हुए? हमने यह भी स्वप्न देखा था कि देश की प्रगति और समृद्धि का लाभ भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, इसमें हम कहां तक सफल हुए?

हमने यह स्वप्न भी देखा था कि, धर्म, वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग व भाषाओं की विविधता के बावजूद हर नागरिक को बराबर सम्मान मिले, उसकी गरिमा



यक़ीनन बहुत-सी चीजों में हमने कुछ सुधार अवश्य किया है, लेकिन हम अपने लक्ष्य से अभी भी बहुत दूर हैं, बल्कि कुछ मामलों में स्थिति बेहद चिंताजनक है। इन मामलों के सभी पहलुओं का सरसरी जायज़ा लेने के लिए भी बहुत समय चाहिए, इसलिए हम सिर्फ़ कुछ पहलुओं ख़ासतौर पर, समानता, सबको समान अवसर, सामाजिक न्याय और मानव गरिमा की स्थितियों पर निगाह डालने का प्रयास करते हैं। स्थितियों को बेहतर बनाने में हम सब नागरिकों का, और सरकार का क्या दायित्व हैं?

की हर हाल में रक्षा हो, उसके अधिकार सुरक्षित रहें और हरेक व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त हों। इस पहलू से हमने कितनी सफलता प्राप्त की और आज की वास्तविक स्थितियां क्या हैं?

यक़ीनन बहुत-सी चीजों में हमने कुछ सुधार अवश्य किया है, लेकिन हम अपने लक्ष्य से अभी भी बहुत दूर हैं, बल्कि कुछ मामलों में स्थिति बेहद चिंताजनक है। इन मामलों के सभी पहलुओं का सरसरी जायज़ा लेने के लिए भी बहुत समय चाहिए, इसलिए हम सिर्फ़ कुछ पहलुओं ख़ासतौर पर, समानता, सबको समान अवसर, सामाजिक न्याय और मानव गरिमा की स्थितियों पर निगाह डालने का प्रयास करते हैं। स्थितियों को बेहतर बनाने में हम सब नागरिकों का, और सरकार का क्या दायित्व है? और उसे पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए और क्या क़दम उठाए जाने चाहिए, इस पर हम विचार करें।

इस संबंध में भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े और कमज़ोर वर्गों की जनसंख्या और उनकी स्थिति का अंदाज़ा लगाने से हालात को समझने में आसानी होगी।

भारत की 138 करोड़ की आबादी में 41 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी है, यानी क़रीब 56 करोड़, जो सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। करीब 22 प्रतिशत भारत की आबादी यानी लगभग 30 करोड़ लोग ग़रीबी रेखा से नीचे हैं। अनुसूचित जाति की आबादी 16.6 प्रतिशत यानी क़रीब 23 करोड़ है, अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों की आबादी 8.6 प्रतिशत यानी करीब 12 करोड़ है। भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी का प्रतिशत 19.3 प्रतिशत है यानी क़रीब 27 करोड़, जिसमें सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम अल्पसंख्यकों की है 14.3 यानी क़रीब 20 करोड़। इन आंकड़ों से स्थितियों को समझना और ज़्यादा आसान होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति जिनकी कुल आबादी भारत की जनसंख्या का 25.2 प्रतिशत

है, यानी करीब 35 करोड़। हालांकि इनकी स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षा रोज़गार और राजनीति में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसकी वजह से इन वर्गों की आर्थिक, शैक्षिक व राजनीतिक स्थितियां बेहतर हुई हैं और इनमें हौसला भी बढ़ा है।

सामाजिक स्तर पर भी कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी छुआछूत, भेदभाव व ताक़तवर वर्गों द्वारा उत्पीड़न व अन्याय की स्थिति चिंताजनक ही कही जाएगी। अभी भी उच्च कही जाने वाली जातियों के मंदिरों में प्रवेश, कुएं और तालाब से पानी लेने व नहाने पर हिंसा की घटनाएं, शादी में दूल्हे के घोड़ी पर बैठने पर हिंसा व प्रताड़ना, दलित व कमज़ोर वर्गों की लड़कियों व महिलाओं के साथ बदसलूकी, हिंसा बलात्कार व हत्याओं की घटनाएं बराबर हो रही हैं। यक़ीनन सती प्रथा व छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को क़ानून के ज़रिए रोकने का प्रयास काफ़ी हद तक सफल हुआ है, लेकिन समाज में दलितों के प्रति आदर, सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार के मामले में हमारे समाज की स्थिति बहुत चिंताजनक है।



आरक्षण की वजह से शिक्षा, रोज़गार एवं राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व ज़रूर बढ़ा है, लेकिन सामाजिक स्तर पर, सरकार व नागरिकों को इस दिशा में विशेष प्रयास करना अभी बाक़ी है। निजीकरण की ओर हमारे देश के क़दम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उच्च एवं प्रशासनिक सेवाओं में पीछे के दरवाज़ों से लोगों को दाख़िल कराने का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे इन कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान को ख़तरा पैदा हो गया है। यह कार्य बहुत चतुराई से किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी पार्टी या सरकार में इतना साहस नहीं है कि वह आरक्षण का खुलकर विरोध करे। इस चालाक मानसिकता के पीछे वही सोच काम कर रही है, जिसमें कमज़ोर लोगों के प्रति एक प्रकार की घृणा और इनको अपने से कम समझने का रुझान है।



इन कमज़ोर वर्गों को बराबर का अधिकार और सम्मान देने की राह में बड़ी रुकावट है। हालांकि इन कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने का प्रयास करने और इनके अधिकारों एवं गरिमा की रक्षा करने के लिए विशेष क़ानून भी बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इन कमज़ोर वर्गों को हमारी न्याय व्यवस्था भी अब तक आंशिक न्याय दिलाने में ही सफल हो सकी है। अभी भी हमारी न्याय व्यवस्था और प्रक्रिया दोनों ताक़तवर लोगों और अपराधियों को ही फ़ायदा पहुंचाती है। इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करते हुए हमें सरकारी व सामाजिक स्तर पर कुछ साहसिक क़दम उठाने चाहिए।

आज सात दशक बाद भी हमारे भारतीय समाज के शरीर पर एक और कलंक है, इन्सानों द्वारा मैला ढ़ोने और गन्दगी की सफ़ाई का काम। हालांकि 2013 में एक क़ानून के द्वारा इन्सानों द्वारा मैला साफ़ करने व ढोने को क़ानूनन



अपराध करार दे दिया गया है, साथ ही इस काम को करने वाले वर्गों के पुनर्वास का प्रावधान भी क़ानून के ज़रिए से किया गया है। क़ानून के माध्यम से और परिभाषाओं में परिवर्तन करके आंकड़ों में सुधार दर्शाने की कोशिशें सरकारों द्वारा की जाती रही हैं, लेकिन स्थितियां अभी भी गंभीर है।

एक सरकारी राष्ट्रीय स्तर के सर्वे के मुताबिक़, 18 राज्यों में मैला ढ़ोने व सफ़ाई करने वालों की संख्या 48,345 बताई गई है, जिसमें से 29,923 सिर्फ़ एक राज्य उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन वास्तविक स्थितियां इन आंकड़ों का साथ नहीं देती।

वर्ष 2011 के एक सर्वे के मुताबिक़ 1,82,505 परिवार इस काम से संबंधित पाए गए। सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन (एसकेए) के मुताबिक़, देश में इस काम को करने वालों की संख्या का अनुमान लगभग 12 लाख है।

सीवर लाइन और सेप्टिक टैंक की सफ़ाई आज भी इन्सानों द्वारा की जा रही है, हालांकि यह क़ानूनन प्रतिबंधित है, टेक्नोलोजी ने बहुत विकास किया है, इस काम के लिए मशीनें भी बन गई हैं, लेकिन अभी भी यह काम करते हुए हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। मौत के ये आंकड़े भी वास्तविक संख्या से कम हैं। वर्ष 2018 में यह काम करते हुए 68 लोगों की मौत दर्ज की गई। वर्ष 2019 में 110 लोगों की मौत इस काम को करते हुए दर्ज की गई। ये तमाम घटनाएं सरकार एवं पूरे भारतीय समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

आज 21वीं सदी में, समाज में इन्सानों द्वारा इस तरह का काम किया जाना क्या हम सबके लिए शर्म की बात नहीं है? एक इन्सान और ख़ासतौर से एक मुसलमान की हैसियत से हमें इन हालात पर संजीदगी से न सिर्फ़ ग़ौर करना चाहिए बल्कि इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में इन्सानी गरिमा उसके सम्मान एवं समानता का व्यवहारिक उदाहरण व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए।

अपने दैनिक जीवन में इन कमज़ोर वर्गों, पीड़ितों एवं वंचितों के साथ खड़े रहना और उनके अधिकारों, मान सम्मान की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना हमारा धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्त्तव्य है। अगर हम कमज़ोरों एवं पीड़ितों के साथ खड़े होंगे, उनकी मदद करेंगे और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करेंगे तो अल्लाह तआला भी हमारे साथ होगा और हम अल्लाह के निकट होंगे। यह हमारी समस्याओं के हल, इहलोक और परलोक दोनों में सफल होने के लिए भी ज़रूरी है।

■■



स्पष्ट नीतियों का अभाव

विश्लेषण



प्रो. ज़फ़ीर अहमद

वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब (डब्ल्यूआईएल) ने वर्ष 2022 की विश्व असमानता रिपोर्ट (The world inequality report) को 7 दिसम्बर 2021 को प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट को तैयार करने में फ्रांस के नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी (Thomas Piketty) समेत कई विशेषज्ञों ने सहयोग किया है, जिनका नेतृत्व वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के सहायक निदेशक लुकास चांसेल ने किया है । विश्व असमानता रिपोर्ट (डब्ल्यूआईआर) के इन अध्ययनों में दुनिया भर के देशों के विभिन्न वित्तीय आकड़ों को उनकी आय और व्यय के हिसाब से शामिल किया गया।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत असमानता के मामले में सबसे ख़राब स्थिति में है और यह देश ग़रीबी का नमूना बन गया है । हालांकि यहां बहुत ख़ुशहाल और धनी लोग भी हैं, लेकिन शीर्ष 10 प्रतिशत और शीर्ष एक प्रतिशत के पास क्रमशः राष्ट्रीय आय का 57 प्रतिशत और 22 प्रतिशत हिस्सा है, वहीं नीचे से 50 प्रतिशत आबादी की हिस्सेदारी मात्र 13 प्रतिशत है । यह केवल आय और धन की असमानता नहीं है जो भारत को एक प्लेग की तरह तबाह कर रही है, बल्कि लैंगिक असमानता के मामले में भी, भारतीय महिला श्रमिकों की आय दुनिया के सभी देशों की तुलना में कम है।

हमारे देश में आर्थिक असमानता इतनी अधिक है कि यदि भारत को इस गणना से बाहर कर दिया जाए तो नीचे से 50 प्रतिशत लोगों की विश्व स्तर पर आमदनी में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। हमारे देश को आर्थिक सुधार के साथ-साथ ग़रीबी और असमानता से कैसे



बचाया जाए, यह एक मसला है। भारत अपेक्षाकृत एक ग़रीब देश है, जिसकी आर्थिक असमानता को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीक़ा है कि यहां के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को बढ़ाया जाए।

भारत में ग़रीबी और असमानता को मिटाने के लिए स्पष्ट नीतियों का अभाव है । विशेषज्ञों का मानना है कि तेज़ी से बढ़ती जीडीपी पर्याप्त नहीं है। जब तक पढ़ाई, कमाई और दवाई (शिक्षा,रोज़गार और चिकित्सा) तक पहुंच में असमानता को ख़त्म न किया जाए । सरकार को ग़रीबी और असमानता पर सटीक आंकड़ों को जल्द से जल्द उपलब्ध करने की शुरुआत तो करनी ही होगी । वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के वयस्कों की आमदनी दो लाख से थोड़ी ही ज़्यादा है । इसी प्रकार अगली सूची के 10 प्रतिशत लोगों की आमदनी 11.6 लाख रुपये है, जबकि 50 प्रतिशत निम्न वर्ग के लोग प्रति वर्ष मात्र 53.6 हज़ार रुपये ही कमाते हैं।

इसका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव होना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे देश की आबादी बेहद ग़रीब है, जिससे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र तबाह हो गए । ऐसी अर्थव्यवस्था में लोगों में बड़े अभावों की भावना है, ख़ासकर बच्चे और युवा बड़ी बुरी हालत में हैं। हमारे देश के बड़े कारोबारी देश को छोड़कर विदेशों में बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे हैं । प्रतिभावान और जागरूक लोग देश के बाहर जाकर अपनी क़िस्मत आज़माने के लिए मजबूर हैं । बाक़ी ग़रीबों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, वे ग़रीबी और अभावों की चक्की में पिस रहे हैं।

परिणामस्वरूप मानसिक तनाव, हिंसा, ख़ुराफ़त और अंधविश्वास समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विश्व असमानता रिपोर्ट (The world inequality report) के अनुसार, दुनिया में असमानता बीसवीं सदी के औपनिवेशिक युग के बराबर है । क्या यही है हमारा आर्थिक विकास? एक विशेष रुझान यह है कि विभिन्न देशों के बीच असमानता में कमी आ रही है, लेकिन उनके भीतर असमानता तेज़ी से बढ़ रही है।

स्पष्ट रहे कि भारत का मध्यम वर्ग ग़रीब है, जिसकी औसत संपत्ति 7,23,930 रुपये है, जो राष्ट्रीय आय का 29.5 प्रतिशत होता है, जबकि शीर्ष 10 प्रतिशत और एक प्रतिशत के पास क्रमशः 6354070 रुपये और 32449360 रुपये की हिस्सेदारी है । भारत में औसत परिवारों की आमदनी 9,83,010 रुपये है, जबकि निम्न वर्ग के अंतर्गत आने वाली 50 प्रतिशत आबादी के पास लगभग कुछ भी नहीं है । वर्ष 2014 के बाद से, शीर्ष 10 प्रतिशत लोगों और निम्न वर्ग की 50 प्रतिशत आबादी के करों से राष्ट्रीय आय अपरिवर्तनीय रही है । भारत में असमानता की स्थिति के आंकड़े, जिसे भारत सरकार (GO1) ने जारी किया है, काफ़ी डरावनी है ।

बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index), जिसे नीति आयोग ने तैयार किया है, इसमें बताया गया कि हर चार नागरिकों में से एक व्यक्ति बहुआयामी ग़रीब है। बिहार में सबसे ज़्यादा ज़्यादा 51.91 प्रतिशत लोग ग़रीब हैं। इसके बाद 42.14 प्रतिशत लोग झारखंड और उत्तर प्रदेश के 37.79 प्रतिशत लोग बहुआयामी ग़रीबी की चपेट में हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) का सर्वेक्षण जो बहुत चौंकाने वाला है कि देश में आधे से अधिक कृषक परिवार भारी क़र्ज़दार हैं। वर्ष 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार, 50 प्रतिशत से अधिक किसान परिवारों पर प्रति परिवार औसतन 74121 रुपये का क़र्ज़ था, जिसमें से 69.6 प्रतिशत क़र्ज़ बैंकों से लिए गए थे । बाक़ी सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों से लिए गए थे। 20.5 प्रतिशत क़र्ज़ उच्च ब्याज दर पर सूदखोरों से लिया गया था। सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि 83.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास एक हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, जबकि 0.2 प्रतिशत परिवारों के पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन थी। एनएसओ के अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण के अनुसार, देश के 10 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जबकि निम्न वर्ग के परिवारों के पास मात्र 2,000 रुपये हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण इलाक़ों की स्थिति शहरों की तुलना में बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शीर्ष 10 प्रतिशत परिवारों के पास औसतन 81.7 लाख रुपये की संपत्ति है, जबकि कमज़ोर वर्गों के पास मात्र 41,000 रुपये की ही संपत्ति है।

इससे स्पष्ट है कि आर्थिक खुलेपन और आर्थिक सुधारों के फ़ैसलों के बाद देश में लोगों की आमदनी तो अवश्य बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक असमानता भी बढ़ी है। बहुत अफ़सोस के साथ यह कहना पड़ता है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी आर्थिक असमानता बहुत अधिक है।

भारत में ग़रीबी और असमानता को मिटाने के लिए स्पष्ट नीतियों का अभाव है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेज़ी से बढ़ती जीडीपी पर्याप्त नहीं है। जब तक पढ़ाई, कमाई और दवाई (शिक्षा,रोज़गार और चिकित्सा) तक पहुंच में असमानता को ख़त्म न किया जाए। सरकार को ग़रीबी और असमानता पर सटीक आंकड़ों को जल्द से जल्द उपलब्ध करने की शुरुआत तो करनी ही होगी।

विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश राज (वर्ष 1858 से वर्ष 1947 तक) में देश में शीर्ष 10 प्रतिशत लोग 50 प्रतिशत संपत्ति के मालिक होते थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद, समाजवादी आर्थिक नीति ने आय की असमानता को बहुत हद तक कम किया, जिसकी वजह से शीर्ष 10 प्रतिशत लोगों की हिस्सेदारी घटकर 40 से 35 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1980 के दशक के मध्य से, विनियमन और उदारीकरण से दुनिया भर में आय और संपत्ति की असमानता में बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है।

विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के 10 प्रतिशत लोगों के पास विश्व की 76 प्रतिशत संपत्ति है। दुनिया के सबसे ज़्यादा धनी लोग एशिया में रहते हैं। 21 प्रतिशत यूरोप में जबकि अमेरिका में 18 प्रतिशत अमीर बसते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पूरी दुनिया आर्थिक उथल-पुथल से जूझ रही थी और लोगों की नौकरियां चली गई थीं। छोटे-मोटे कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए थे, लेकिन इसी दौर में दुनिया भर में अरबपतियों की संख्या बढ़ती रही। फोर्ब्स के संपादक ए. डोलान का कहना था कि कोरोना के क़हर के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए यह साल रिकॉर्ड की तरह रहा है। इस दौरान जहां उनकी संपत्ति में पांच खरब डॉलर की वृद्धि हुई, वहीं नए अरबपति भी बड़ी संख्या में बढ़े। भारत तीसरा सबसे बड़ा अरबपतियों का देश है, जबकि विगत सात वर्षों में 9 करोड़ लोग ग़रीबी रेखा के निकट पहुंच गए। ये सभी तथ्य देश के नीति निर्माताओं को इस बात पर विचार-विमर्श करने के लिए कह रहे हैं कि अमीरों और ग़रीबों के बीच बढ़ती हुई खाई को कैसे पाटा जाए ताकि देश की आर्थिक असमानता कम से कम हो, क्योंकि असमानता न तो समाज के लिए बेहतर है और न कि देश के लिए। ■■

निष्कर्ष



सैयद
सआदतुल्लाह
हुसैनी

धरातल पर उतरे न्यायिक समानता



देश के वर्तमान चिंताजनक माहौल में, इस भलाई की भी संभावना मौजूद है कि देशवासी देर-सवेर, इस देश की ज़मीनी सच्चाइयों को सामने रखकर, नागरिकों के बीच समानता और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बेहतर नीतियों की ओर ध्यान देंगे। अतीत में दुनिया के कई देशों में अतिवाद के उत्थान और उसके नतीजे में होने वाले ख़ूनख़राबे ने व्यवस्थाओं में ठोस सुधारों की राहें हमवार की हैं। इटली और जर्मनी में फासीवाद के नतीजे में हुआ विनाश बहुत से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए प्रेरणा बना, इसके नतीजे में ख़ुद इन देशों में लोकतांत्रिक सुधारों को बढ़ावा मिला और संयुक्त राष्ट्र और उसके कई उपसंगठन बने। पूर्वी और मध्य यूरोप के इलाक़ों में साम्यवादी दमन और नस्लवादी आंदोलनों के अत्याचार का नतीजा यह निकला कि वहां विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयों के अधिकारों से जुड़े बहुत से अनोखे और क्रांतिकारी सुझाव लागू किए गए।

न्याय के साथ समानता (अद्ल एवं इन्साफ़) इस्लामी शरिया क़ानून का शीर्षक और उसकी प्रमुख विशेषता है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने इस्लामी शरीयत का मक़सद ही न्याय क़रार दिया है। क़ुरआन में कई जगह न्याय व समानता को मिशन के तौर पर प्रस्तुत किया गया है।

इसलिए अंदाज़ा यह है कि सांप्रदायिक ताक़तों की पैदा की हुई ख़राबियां निकट भविष्य में, देश में स्थाई सुधारों का माध्यम बनेंगी। हमें भी इसमें अहम भूमिका निभाने की ओर ध्यान देना चाहिए। आज की परिस्थितियों पर शोक मनाने में अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हम आने वाले कल का अंदाज़ा करें और उन बहसों को उठाने की कोशिश करें कि देश के सभी लोगों को न्याय और समान अधिकार दिलाने के लिए और सांप्रदायिक तत्वों की शरारतों से देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश में और क्या सुधार हो सकते हैं?

न्याय के साथ समानता (अद्ल एवं इन्साफ़) इस्लामी शरिया क़ानून का शीर्षक और उसकी प्रमुख विशेषता है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने इस्लामी शरीयत का मक़सद ही न्याय क़रार दिया है। क़ुरआन में कई जगह न्याय व समानता को मिशन के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। क़ुरआन हमें बताता है–

''ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन्साफ़ के ध्वजावाहक और अल्लाह के लिए गवाह बनो यद्यपि तुम्हारा इन्साफ़ और तुम्हारी गवाही ख़ुद तुम्हारे अपने या तुम्हारे मां-बाप और नातेदारों के विरुद्ध ही क्यों न पड़ती हो। मामले से संबंध रखने वाला पक्ष चाहे मालदार हो या ग़रीब, अल्लाह तुम से अधिक उनका हितैषी है। अतः अपनी इच्छा के अनुपालन में न्याय से न हटो। और अगर तुमने लगी-लपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी ख़बर है।'' (क़ुरआन, 4:135)

एक अन्य स्थान पर क़ुरआन कहता है–''ऐ नबी, इनसे कहो, मेरे रब ने तो सत्य और न्याय का आदेश दिया है।'' (क़ुरआन, 7:29)

एक-दूसरे स्थान पर क़ुरआन में अल्लाह तआला का कथन है–''हमने अपने रसूलों को साफ़-साफ़ निशानियों और मार्गदर्शनों के साथ भेजा और तुला अवतरित की ताकि लोग इन्साफ़ पर क़ायम हों।'' (क़ुरआन, 57:25)

क़ुरआन की इन बातों से मालूम होता है कि राज्यों में इस्लाम का बहुत ही अहम मक़सद न्याय के साथ बराबरी है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या भी न्याय और बराबरी की ही है। हमारे यहां यह समस्या दुनिया के कुछ और हिस्सों की तरह केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में असमानता, अत्याचार, शोषण और अपमान सदियों से यहां की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का हिस्सा है।





न्याय और समानता इस देश में हमारे विमर्श का एक अहम मुद्दा होना चाहिए, बल्कि हमें तो क़ुरआन के आदेश के अनुसार, न्याय और समानता का झंडावाहक बन जाना चाहिए ताकि यह हमारे सामूहिक अस्तित्व का महत्वपूर्ण संदर्भ, हमारी राजनीति और हमारी पहचान का अभिन्न अंग बन जाए। हमारे देश में न्याय से जुड़े कुछ बिंदु विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं–

1. आर्थिक न्याय यानी समाज के सभी वर्गों को जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार, देश के धन और अन्य संसाधनों का न्यायपूर्ण तरीक़े से बंटवारे के लिए समुचित नीतियां और धन के प्रवाह को अमीरों से ग़रीबों की ओर करने के लिए और शोषण और लूट-खसोट की रोक-थाम के लिए नीतिगत उपाय।

2. न्यायिक व्यवस्था यानी अदालतों और जांच व पूछताछ की समुचित व्यवस्था, जल्द से जल्द और समुचित न्याय का सुनिश्चित किया जाना। आम आदमी तक निशुल्क एवं त्वरित न्यायिक सेवाओं की पहुंच। अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा और निर्दोषों की प्रताड़ना की रोकथाम के लिए अदालत व पुलिस व्यवस्था में सुधार।

3. जाति, लिंग और समुदाय के आधार पर अत्याचार की रोकथाम। विशेष रूप से पिछड़े कहे जाने वाले वर्गों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना। जातिवाद को ख़त्म करना, पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाने और उन्हें सामाजिक रूप से ऊंचा उठाने के लिए ज़्यादा प्रभावी नीतिगत उपाय।

4. सांस्कृतिक एवं वैचारिक समूहों को मान्यता प्रदान करना और उनको सामूहिक अधिकार दिलाना ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार हासिल हों और उन्हें देश की सामूहिक व्यवस्था में मज़बूती मिले।

5. हमारे देश में अन्याय का सबसे बड़ा स्रोत देश की राजनीति है। नागरिकों में फूट डालना, उन्हें लड़ाना, दंगे कराना, कुछ वर्गों का शोषण करना, ये सब चुनाव जीतने के शॉर्टकट बन चुके हैं। राजनीतिक व्यवस्था की नए सिरे से ऐसी रूप-रेखा बनाना, जिसके नतीजे में यह सिलसिला रुके।

हमारे देश में, न्याय और समानता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बहस होती रही है, लेकिन नए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक इकाइयों के अधिकारों और उनके साथ समानता की मांगें कम ही चर्चा में आ सकी हैं। इसका कारण यह है कि यह मुद्दा देश की विशेष परिस्थितियों में बहुत संवेदनशील बन गया है। पहचान की राजनीति और सांप्रदायिक संघर्ष के संवेदनशील विषयों के साथ अक्सर यह मुद्दा गड्मड् हो जाता है, जिसकी वजह से इस पर ध्यान नहीं जा पाता। हम चाहते हैं कि न्यायिक सिद्धांतों के आलोक में और पूरे देश के हित के लिए इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श हो और दुनिया के विभिन्न बहुसांस्कृतिक देश जो लोकतांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं, इससे लाभ उठाएं और प्रबुद्ध लोग इसमें हिस्सा लें। ■■

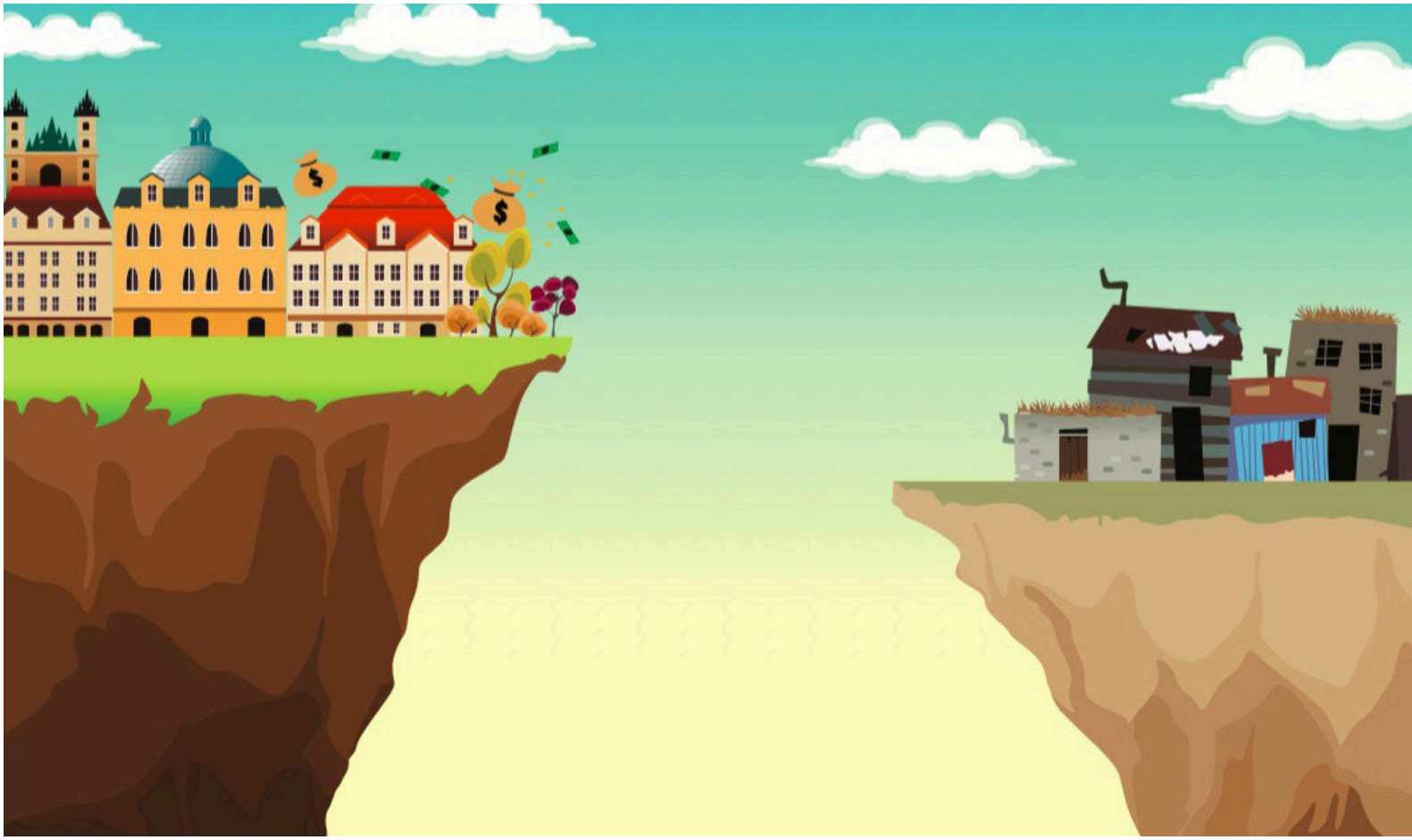

विकास और मानवीय दृष्टिकोण

दुनियाभर में विकास निजी पूंजी वाले एक छोटे से कुलीन वर्ग और चंद देशों की मुट्ठी में सिमट कर रह गया है।

अभिमत



गुंजन मिश्रा

अभी तक देश में विकास के लिए जो भी योजनाएं बनीं हैं, वे स्थायी समाधान प्रदान नहीं करतीं। जैसे हरित क्रांति ने देश की उपजाऊ मिट्टी, स्वास्थ्य, पशुधन आदि को, बांधो ने नदियों को और अर्थव्यवस्था ने मानवता व पर्यावरण को निगल लिया है।देश के नीति निर्माताओं को अभी की ज़रूरत, वर्तमान संकट का उपाय जैसे शब्दों को नकार कर अब देश की समस्याओं के लिए स्थायी समाधान तलाशने की ओर बढ़ने पर ज़ोर देना चाहिए। भ्रष्टाचार, निरक्षरता, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, ग़रीबी, जलवायु परिवर्तन, घटता भूजल स्तर, वायु प्रदूषण, ठोस अवशेष, महिला सशक्तिकरण, बेरोज़गारी, कृषि संकट, बाढ़, सूखा, लंबित न्याय, सकल घरेलू उत्पाद आदि मुद्दे आज देश के सामने हैं, जिनको आज प्राथमिकता के आधार पर समाधान तलाशने की ज़रूरत है। भारत को आज एक ऐसी न्याय संगत अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है जो देश में

असमानता को कम कर सके।

वैश्विक असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत एक ऐसे 'ग़रीब और असमानता वाले देश के रूप में खड़ा है, जहां शीर्ष दस फ़ीसद लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का सत्तावन फ़ीसद हिस्सा है। इसमें भी शीर्ष एक फ़ीसद लोगों का कुल राष्ट्रीय आय के बाईस फ़ीसद पर क़ब्ज़ा है। चौंकाने वाली बात यह कि कोविड महामारी का दौर अरबपतियों के लिए स्वर्णयुग साबित हुआ है। इससे साबित होता है कि ज़िंदा रहने के लिए कौशल और जीने के लिए मानवीय पाठ्यक्रम जब तक शिक्षा में शामिल नहीं होंगे, तब तक एक आदर्श और चक्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित कर पाना



संभव नहीं हो सकेगा।

सवाल है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, कृषि, रोज़गार, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं में से किस मुद्दे को केंद्र या प्राथमिकता में रख कर बढ़ा जाए, जिसमे सभी समस्याओं का हल निकल सके। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर फिर से चेतावनियां आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने के लिए प्रयास की बात जोरशोर से पूरी दुनिया में उठ रही है। कोई डार्विन के सिद्धांत पर खेती करने की बात करता है, तो देश के नीति निर्माता किसान की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई के लिए बांध बनाने की बात करते हैं। पलायन रोकने के लिए उद्योगों की ज़रूरत बताई जाती है, यानी आदि अलग-अलग तरीक़े से समस्याओं को हल करने की बात होती है। पर समाधान कहीं से निकलता नहीं दिखता।

भारत जैसे देश में अहिंसात्मक कृषि ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें सभी समस्याओं का हल मौजूद है। अहिंसात्मक कृषि से ही जल, ज़मीन, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी, रोजगार, कुपोषण जैसी समस्याओं का हल मिल सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि कृषि को केंद्र में रख कर योजनाएं बनाई जाएं, तभी देश 'सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय' के सिद्धांत को प्रतिपादित कर सकता है।

अभी तक देश में विकास के लिए जो भी योजनाएं बनीं हैं, वे स्थायी समाधान प्रदान नहीं करतीं। जैसे हरित क्रांति ने देश की उपजाऊ मिट्टी, स्वास्थ्य, पशुधन आदि को, बांधो ने नदियों को और अर्थव्यवस्था ने मानवता व पर्यावरण को निगल लिया है। उदाहरण के लिए जब खाद्य सुरक्षा की बात आती है तो जनसंख्या भारत के लिए एक दायित्व बन गई है। दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र के केवल 2.4 प्रतिशत के साथ भारत के पास दुनिया की कुल आबादी का चौदह प्रतिशत हिस्सा है।

जल संसाधनों का लगभग चार फ़ीसद हिस्सा है। यही कारण है कि भारत जल संकट से जूझ रहा है। 1951 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता पांच हजार एक सौ सतहत्तर घन मीटर थी, जो 2011 में घट कर एक हजार पांच सौ पैंतालीस घन मीटर रह गई। यानी साठ वर्षों में लगभग सत्तर फीसद की गिरावट हुई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में जैव विविधता वाले चार बड़े केंद्र हैं और इन क्षेत्रों का नब्बे फ़ीसद हिस्सा नष्ट हो चुका है।



इतना ही नहीं, शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (एक्यूएलआइ) की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, जहां प्रदूषण का स्तर नियमित रूप से परिमाण के क्रम में दुनिया में कहीं और पाए जाने वाले स्तर से काफ़ी अधिक है। अगर जलवायु परिवर्तन को लेकर बात की जाए औसत तापमान सामान्य से 0.91 फ़ीसद ज़्यादा दर्ज किया गया। पिछले एक सौ बयालीस सालों में यह चौथा मौका था जब नवम्बर 2021 में बढ़ा हुआ तापमान दर्ज किया

विकास के लिए बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटी-छोटी योजनाओं से भी सुखद परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। गांधी के दर्शन और सिद्धांतों को केंद्र में रख कर भविष्य की विकास योजनाएं बनाई जाएं तो देश एक समग्र विकास की ओर न्याय संगत तरीके से चल पाएगा।

गया।

एक सर्वे के मुताबिक़, यह भी पता चला कि विश्व में सत्तासी प्रमुख खाद्य फसलें संपूर्ण या आंशिक रूप से परागण से ही संचालित हो पाती हैं। परागण कि इस प्रक्रिया में मधुमक्खियां बहुत योगदान देती हैं, जिससे वे हजारों पशु-पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को भोजन उपलब्ध कराती हैं। पृथ्वी पर पौधों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं और इसके लिए मधुमक्खियां ही उत्तरदायी होती हैं। इसलिए विलुप्त होती प्रजातियों एवं प्रकृति के चक्रों को संतुलित करने के लिए भारत को चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए तेज़ी से क़दम उठाए। इसके लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों की ज़रूरत है।

पूरे विश्व में एक क़ानून लागू हो और पर्यावरण से खिलवाड़ अंतरराष्ट्रीय अपराध घोषित हो। इसके लिए विश्व बैंक जैसे संस्थानों को चाहिए कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ऐसी योजनाएं भी बनाएं जिनमे पैसे की जगह वस्तु विनिमय की शुरुआत की जाए, ताकि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे कुछ हद तक असमानता की खाई को पाटा जा सकता है। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी पूंजीवाद को लेकर यह कहा था कि दुनियाभर में विकास निजी पूंजी वाले एक छोटे से कुलीन वर्ग और चंद देशों की मुट्ठी में सिमट कर रह गया है। निजी पूंजी की इस शक्ति को लोकतांत्रिक रूप से संगठित राजनीतिक समाज भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकता है। कुल मिला कर प्राकृतिक संसाधनों का खनन या उपयोग देश की पर्यावरणीय क्षमता का आकलन करने के बाद ही किया जाना चाहिए। इसके लिए देश में पंचतत्वों के लिए एक समग्र क़ानून बने क्योंकि जैव विवधता, जल, वायु आदि के लिए अलग-अलग नियम-कानून होने के कारण इनके कार्यान्वयन में दिक्क़तें आती है। अतः पर्यावरण को जान-बूझकर नुक़सान पहुंचाने वाले आसानी से बच निकलते हैं।

सरकार को चाहिए कि स्नातक व परास्नातक स्तर के छात्रों को जीवन के सभी पहलुओं विज्ञान, उदारता, अर्थ, समाज के बारे में व्यावहारिक जानकारी देने वाली शिक्षा पर ज़ोर दे। युवाओं को कृषि के जोड़ने के लिए किसानों के पास तीन से छह महीने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए खेती के कामों में लगाया जा सकता है। इससे कृषि क्षेत्र में और गांवों के स्तर पर कृषि उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा।

विकास के लिए बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटी-छोटी योजनाओं से भी सुखद परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। गांधी के दर्शन और सिद्धांतों को केंद्र में रख कर भविष्य की विकास योजनाएं बनाई जाएं तो देश एक समग्र विकास की ओर न्याय संगत तरीके से चल पाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने ग्राम स्वराज्य के लिए कई योजनाएं लागू तो कीं, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा के चलते कुछ पहलुओं को नकार दिया जाना देश के विकास के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है। उदाहरण के लिए नदी गठजोड़ परियोजना के तहत केन बेतवा नदी गठजोड़ परियोजना जिसमें जल, जंगल, जमीन के वास्तविक मूल्य को नकार दिया गया। जबकि ये सिद्ध हो चुका है कि तालाबों के माध्यम से बिना किसी नुक़सान के लोगों को सिंचाई व पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकता है। अतः सरकार को चाहिए कि विकास परियोजनाओं में मानवीय दृष्टिकोण को ज्यादा अहमियत दी जाए, जिसमें आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित, तभी हम गांधी का भारत ख़ुशहाल बना सकेंगे। (सा. जनसत्ता) ■■





आदर्श आर्थिक मॉडल

समाधान



डॉ. फ़रहत हुसैन

अर्थव्यवस्था के अच्छे होने का मापदंड उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय नहीं, बल्कि यह है कि समाज में आख़री आदमी (Marginal Citizen) की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों। इस्लाम आर्थिक जगत में भी नैतिकता का पक्षधर है। इसकी व्यवस्था में हर प्रकार का ब्याज वर्जित है, क्योंकि यह मानवता विरोधी और अन्यायपूर्ण है। जो लोग अपने धन का निवेश (Investment) चाहते हैं, वे लाभ और हानि दोनों में सम्मिलित हों अर्थात जोखिम वहन करें। जब संसार में किसी भी चीज़ का पूर्वानुमान शत-प्रतिशत संभव नहीं, तो पूंजीपति के धन पर ब्याज दर के पूर्व निर्धारण का क्या औचित्य है।

यह और कई अन्य कारणों से इस्लाम ब्याज को पूर्ण रूप से अवैध घोषित करता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा और समाज को बिगाड़ने वाले सभी कारोबार जैसे शराब, अश्लीलता फैलाने वाले मनोरंजन प्रतिबंधित हैं। मालदारों से उनके जमा धन पर ढाई प्रतिशत ज़कात (अनिवार्य दान) वसूल कर के, उससे ग़रीबों की आवश्यकता पूरी करने का अनुपम प्रबंध किया गया है। अनिवार्य योगदान (ज़कात) के अतिरिक्त धनवान मुसलमानों को प्रेरित किया गया है कि वे स्वेच्छा से दान-पुण्य के द्वारा समाज में कमज़ोर वर्गों की सहायता में सतत प्रयत्नशील रहें।

फ़िज़ूलख़र्ची और अनावश्यक दिखावे पर पाबंदी है, ताकि अपव्यय को रोक कर समाज के वंचित वर्ग की मदद की जाए। आर्थिक अपराध जैसे जमाख़ोरी, ब्लैक मार्केटिंग (कालाबाज़ारी), मिलावट, नाप-तौल में हेराफेरी पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है। मरने के बाद जायदाद पुत्र, पुत्रियों तथा अन्य उत्तराधिकारियों में वितरित की जाएगी, जिससे धन के केंद्रीकरण में कमी आएगी। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार, मज़दूर की मज़दूरी और कर्मचारी का वेतन पहले तय कर के समय से भुगतान करना होगा।

ज़कात समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की सहायता के लिए



एक ऐसा अनिवार्य दान है जो प्रत्येक मुस्लिम को (जो इसकी सामर्थ्य रखता हो) अपने जमा धन में से ढाई प्रतिशत देना होता है। इस्लाम इसे भीख या टैक्स के रूप में नहीं, बल्कि सम्पन्न व्यक्ति के माल में ग़रीब और वंचित के हक़ के रूप में देखता है।

आर्थिक दौड़ में जो लोग किसी कारणवश पिछड़ जाएं या किसी आपदा या मुसीबत का शिकार हो जाएं या कमाने वाला चल बसे और पीछे विधवा और अनाथ असहाय रह जाएं, उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का यह एक सामाजिक बीमा है। इसका दूसरा बड़ा लाभ यह है कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपनी कमाई में से इस व्यय द्वारा मनुष्य में बलिदान और त्याग का गुण पैदा होता है। तंगदिली और धन लोलुपता दूर होती है। दीन-दुखियों के प्रति हमदर्दी और सहानुभूति पैदा होती है।

इस्लाम में यह एक इबादत है, मगर आर्थिक जगत के लिए ऑक्सीजन के समान है। इसके माध्यम से बाज़ार में धन का प्रवाह होता है। ग़रीब के हाथ में जो धन पहुंचता है, उससे बाज़ार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पन्न होती है, इससे उत्पादन तथा रोज़गार में वृद्धि होती है और समाज आर्थिक ख़ुशहाली की ओर अग्रसर होता है। प्रति वर्ष मालदार के धन से कम-से-कम ढाई प्रतिशत भाग का प्रवाह जब ग़रीब की ओर होता है, तो अमीर-ग़रीब के बीच का अंतर या आर्थिक असमानता धीरे-धीरे घटने लगती है। याद रहे कि धन का असमान वितरण या ग़ैर-बराबरी वर्तमान युग की आर्थिक समस्याओं में बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है।

मानव-जीवन में धन-दौलत के महत्व को देखते हुए इस्लाम ने आर्थिक इबादत के रूप में ज़कात को धन-व्यवस्था का एक मूल स्तंभ बनाया है। धन केवल धनी लोगों और आर्थिक रूप से संपन्न लोगों की ही मुट्ठी, तिजोरी और बैंकों में होकर न रहा जाए, बल्कि समाज के निचले स्तर तक, ग़रीबों, परेशान हाल लोगों, दरिद्रों, बीमारों, अनाथों, विधवाओं तक संचारित रहे, समाज को आर्थिक वर्ग-संघर्ष, टकराव, फ़साद और शोषण की आग में जलना न पड़े, इसके लिए इस्लामी शरीअत ने साल भर की बचत पर 2.5 प्रतिशत ज़कात अनिवार्य किया है। यह टैक्स नहीं बल्कि इबादत है। ज़कात के माध्यम से ग़रीबी और भुखमरी को सफलतापूर्वक से दूर किया जा सकता है।

इस्लाम का यह आर्थिक मॉडल केवल मुसलमानों के ही लिए नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए ईश्वर की प्रदान की हुई जीवन प्रणाली है। इसको समझने के लिए मुसलमानों के व्यवहार या किसी इतिहासकार या किसी लेखक के विचारों को आधार बनाने के बजाए स्वयं इस्लाम के मूल स्रोतों-पवित्र क़ुरआन तथा हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाओं को आधार बनाना चाहिए। यदि हमें लगे कि यह प्रणाली तर्कसंगत है, मन को अपील कर रही है, सुख-शांति दे सकती है, हमारे कष्टों और तनाव का निवारण कर सकती है तथा इसके द्वारा हम अपने प्रभु की अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं, तो इस संबंध में हमें पूरी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

■■

कविता

सरमायादारी (पूंजीवाद)

■ मजाज़

कलेजा फुंक रहा है और ज़बा कहने से आरी है,
बताऊं क्या तुम्हें क्या चीज़ ये सरमायादारी है,
ये वो आंधी है जिसकी रौ में मुफ़्लिस का नशेमन है,
ये वो बिजली है जिसकी ज़द में हर दहक़ां का ख़िर्मन है।

ये अपने हाथ में तहज़ीब का फ़ानूस लेती है,
मगर मज़दूर के तन से लहू तक चूस लेती है,
ये इंसानी बला ख़ुद ख़ूने इंसानी की गाहक है,
वबा से बढ़ के मोहलिक मौत से बढ़ कर भयानक है।

न देखे हैं बुरे इसने न परखे हैं भले इसने,
शिकंजों में जकड़ कर घूंट डाले हैं गले इसने,
बला-ए-बे-अमां है तौर ही इसके निराले हैं,
कि इसने ग़ैज़ में उजड़े हुए घर फूंक डाले हैं।

क़यामत इसके ग़म्ज़े जान-लेवा हैं सितम इसके,
हमेशा सीन-ए-मुफ़्लिस पे पड़ते हैं क़दम इसके,
कहीं ये ख़ूं से फ़र्द-ए-मालो ज़र तहरीर करती है,
कहीं ये हड्डियां चुन कर महल तामीर करती है।

ग़रीबों का मुक़द्दस ख़ून पी पी कर बहकती है,
महल में नाचती है रक़्स-गाहों में थिरकती है,
ब-ज़ाहिर चंद फ़िरऔनों का दामन भर दिया इसने,
मगर गुल-बाग़-ए-आलम को जहन्नम कर दिया इसने।

दरिंदे सर झुका देते हैं लोहा मान कर इसका,
नज़र सफ़्फ़ाक़-तर इसकी नफ़स मकरूह-तर इसका,
जिधर चलती है बर्बादी के सामां साथ चलते हैं,
नहूसत हम-सफ़र होती है शैतां साथ चलते हैं।

ये अक्सर लूट कर मासूम इंसानों को राहों में,
ख़ुदा के ज़मज़मे गाती है छुप कर ख़ानक़ाहों में,
ये डाइन है भरी गोदों से बच्चे छीन लेती है,
ये ग़ैरत छीन लेती है हमिय्यत छीन लेती है,

ये इंसानों से इंसानों की फ़ितरत छीन लेती है।
ये आशोबे हलाकत फ़ित्ना-ए-इस्कंदर-ओ-दारा,
ज़मीं के देवताओं की कनीज़-ए-अंजुमन-आरा,
हमेशा ख़ून पी कर हड्डियों के रथ में चलती है,
ज़माना चीख़ उठता है ये जब पहलू बदलती है।

गरजती गूंजती ये आज भी मैदां में आती है,
मगर बद-मस्त है हर हर क़दम पर लड़खड़ाती है
मुबारक दोस्तो लबरेज़ है अब इसका पैमाना,
उठाओ आंधियां कमज़ोर है बुनियादे काशाना।

(कठिन शब्द: मुफ़्लिस-ग़रीब, दहक़ां-किसान, ख़िर्मन-खलिहान, तहज़ीब-सभ्यता, मोहलिक-जानलेवा, ग़ैज़-प्रकोप, तामीर-निर्माण, मुक़द्दस-पवित्र, रक़्सगाहों-नृत्यशालाओं, सफ़्फ़कतर-अति क्रूर, नहूसत-दुर्भाग्य, ग़ैरत-आत्म सम्मान, हमिय्यत-उत्साह, आशोबे हलाकत-दुखद मृत्यु, बुनियादे काशाना-भवन की नींव)

ज्वलंत

संपादन प्रभाग

मानसिक स्वास्थ्य का दुर्लभ उल्लेख

कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है और इसके बारे में ख़ूब बातें की जा रही हैं। गत दिनों मानसिक स्वास्थ्य के महत्व का उल्लेख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट भाषण में भी किया गया। निर्मला सीतारमण ने एक "राष्ट्रीय टेली-मेंटल हेल्थ कार्यक्रम" की स्थापना की घोषणा भी की, जिसमें 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्र लॉन्च किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2021 में, एक अध्ययन ने भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में 35 प्रतिशत की वृद्धि की सूचना दी। नवम्बर 2021 में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वार्षिक रिपोर्ट में दिखाया गया है कि भारत में 2020 में महामारी के दौरान आत्महत्याओं में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2020 में प्रत्येक दिन लगभग 400 भारतीयों ने मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या की।



मानसिक विकारों में तनाव एवं अवसाद को सबसे प्रमुख विकार माना जाता है। हर इन्सान कभी न कभी मानसिक तनाव का शिकार हो सकता है। इन्सान जीवन में कई बार छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ को लेकर चिंताग्रस्त हो जाता है। यह चिंता यदि इन्सान अपने मन में छुपाए रखे और इसे अंदर ही अंदर बहुत बड़ी समस्या समझने लगे तो यह चिंता बड़े तनाव का कारण बन जाती है। यही तनाव धीरे-धीरे मानसिक अवसाद का रूप ले लेता है।

आजकल की इस भाग दौड़ भरी

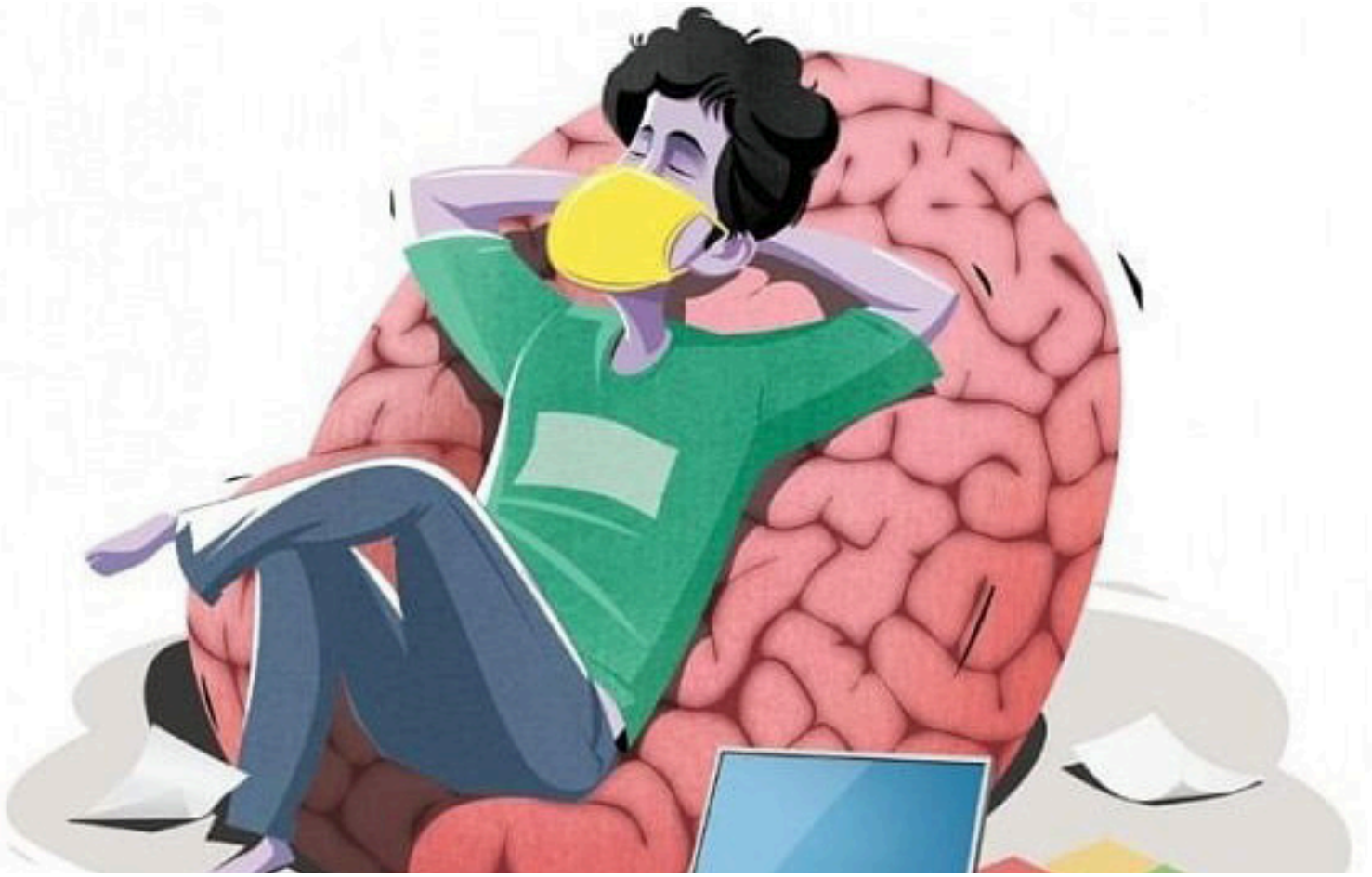

ज़िंदगी में हर इन्सान बहुत व्यस्त नज़र आता है। किसी आदमी के पास ज़रा सा भी समय नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो तनाव एक बहुत ही स्वभाकि सी चीज़ नज़र आती है। आजकल तो छोटे-छोटे, दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी यह कहते हुए पाए जाते हैं कि 'हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं। हमें पढ़ाई की चिंता है, हमें परीक्षा की चिंता है'।

ऐसे में सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है? मानसिक तनाव या अवसाद का इलाज जानने से पहले यह ज़रूरी है कि हम इसके कारणों के बारे में जानें। तनाव या अवसाद क्या है? हम देखते हैं कि किसी की नौकरी छूट गई, कोई किसी परीक्षा व किसी कार्य में असफल हो गया या किसी की अपने दोस्त से लड़ाई हो गई तो, अब वह बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो गया। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिससे व्यक्ति को मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन इन सारे कारणों का यदि हम विश्लेषण करें

"और हम ज़रूर तुम्हें डर, भूख, जान-माल की हानियों और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आज़माइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र से काम लें और जब कोई मुसीबत पड़े, तो कहें कि "हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की ओर हमें पलटकर जाना है," उन्हें ख़ुशख़बरी दे दो। उन पर उनके रब की ओर से बड़ी कृपाएं होंगी, उसकी दयालुता उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं।"

(क़ुरआन, 2:155-157)

तो एक महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आती है, वह यह कि जब इन्सान किसी चीज़ को पाने के लिए अथक कोशिशें करता है और इस अथक कोशिशों के बावजूद वह चीज़ उसको हासिल नहीं हो पाती और वह अपने मक़सद में कामयाब नहीं हो पाता है तो फिर वह मानसिक तनाव या अवसाद का शिकार हो जाता है।

हम समझते हैं कि जो भी मक़सद या लक्ष्य हमने ख़ुद के लिए तय कर रखा है, वही सब कुछ है और उसे पाने की कोशिशों के बेकार हो जाने का जो दर्द है वही तनाव और अवसाद में बदल जाता है। अभिप्राय यह कि इन्सान अपनी कोशिशों को ही सब कुछ मान लेता है।

इस समस्या का सबसे अच्छा हल धर्म प्रस्तुत करता है। धर्म कहता है कि किसी कार्य के परिणाम पर तुम्हारा कोई वश नहीं है। तुम्हारी कोशिशों पर किसी कार्य का परिणाम निर्भर नहीं करता, जो कुछ भी होता है वह ईश्वर करता है और सभी चीज़ें उसकी इच्छा पर निर्भर

करती हैं। यदि वह चाहेगा तो तुम सफल हो जाओगे और यदि वह चाहेगा तुम असफल हो जाओगे। इसलिए कोशिशों पर कोई चीज़ निर्भर नहीं करती है। हमारा अधिकार केवल हमारे प्रयासों पर है, परिणामों पर हमारा कोई कोई अधिकार नहीं है। यह बात यदि इन्सान अपने मन में बिठा ले तो वह मानसिक तनाव या अवसाद का शिकार कभी नहीं हो सकता, लेकिन धर्म की इस अवधारणा को केवल आंशिक रूप से आत्सात करके कोशिशें करना छोड़ देना नासमझी की बात होगी और कोशिशों को छोड़ देने से एक नई ससस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि इसकी सही अवधारणा को समझा जाए।

तनाव या अवसाद का ऐसा सकारात्मक एवं संरचनात्मक हल जिसमें इन्सान की कोशिशें अस्वीकार न हों, बल्कि इन्सान कोशिशें भी करे और तनावग्रस्त भी न हो, इस प्रकार का हल इस्लाम प्रस्तुत करता है। इस्लाम कहता है कि निसंदेह, जो कुछ भी होता है, वह ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, लेकिन इन्सान की कोशिशें बेकार नहीं जाती। पवित्र क़ुरआन कहता है-

''और यह कि इन्सान के लिए कुछ भी नहीं है, मगर वह जिसके लिए उसने प्रयास किया है, और यह कि उसका प्रयास जल्द ही देखा जाएगा, फिर उसका पूरा बदला उसे दे दिया जाएगा और यह कि आख़िकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है।''

(क़ुरआन, 53:39-41)

यदि हम आज के भौतिक विज्ञान में कार्य की परिभाषा को देखें तो उसके अनुसार, कार्य = बल x विस्थापन, होता है।

यानी जब हम किसी भी चीज़ पर ताक़त लगाएं और वह चीज़ अपनी

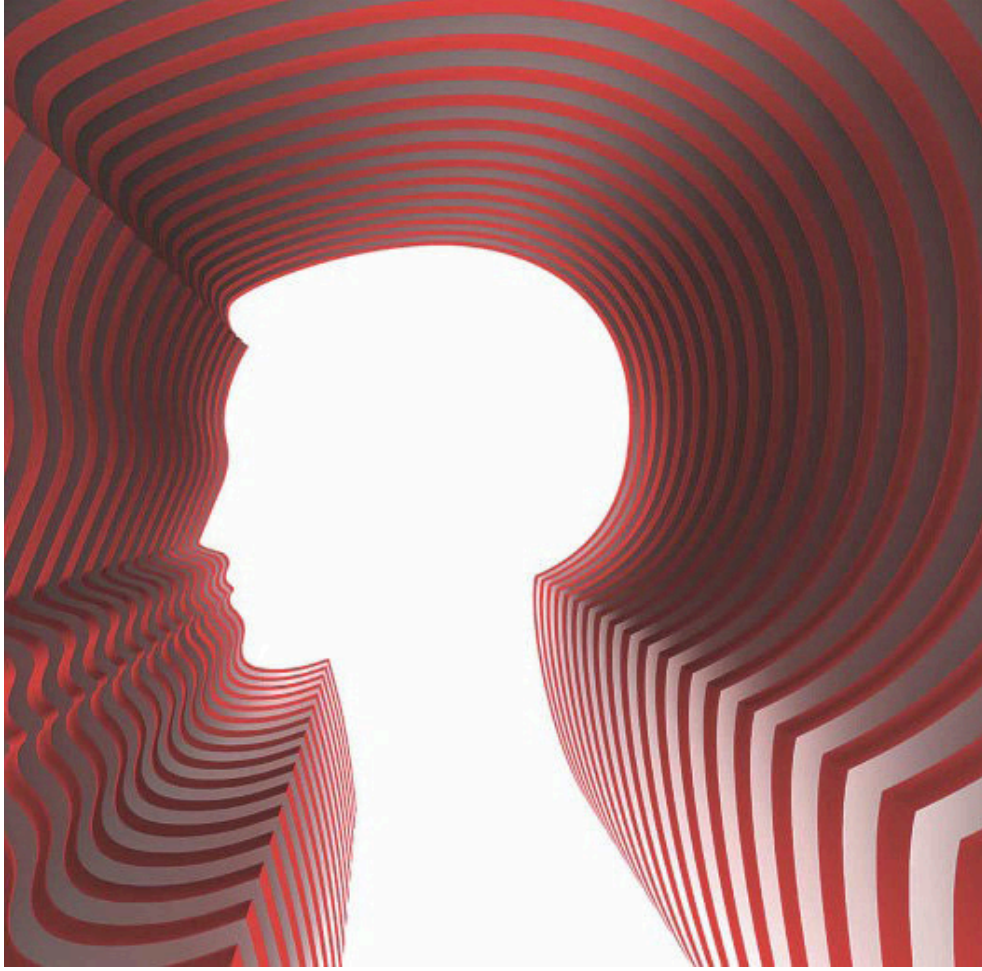

जगह से हट जाए तो इसे कार्य हुआ माना जाएगा, लेकिन इस्लाम की परिभाषा में कार्य के हो जाने के लिए विस्थापन या कार्य का हो जाना ज़रूरी नहीं है। इस्लाम कहता है कि यदि तुमने अपनी अथक कोशिशें कर डाली हैं और तुमने अपनी पूरी ताक़त झोंक दी है, उसका मक़सद पूरा हुआ या नहीं इस बात पर तुम्हारी कामयाबी का दारोमदार नहीं है। तुम्हारी कामयाबी का दारोमदार तुम्हारी नीयत और तुम्हारी कोशिशों पर है।

क़ुरआन में कहा गया है कि यदि तुम अपनी जद्दोजहद पूरी कर दोगे और अपने आप को पूरी तरह लगा दोगे तो फिर नतीजे की ज़िम्मेदारी ईश्वर पर है। तुम्हारी कोशिशाों का फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। तुम्हारी कोशिशों की राह में कठिनाइयों और परेशानियों से सामना होना तय है, लेकिन इन्सान को हिम्मत नहीं हारना है। क़ुरआन में अल्लाह तआला का कथन है-

''और हम ज़रूर तुम्हें डर, भूख, जान-माल की हानियों और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आज़माइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र से काम लें और जब कोई मुसीबत पड़े, तो कहें कि ''हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की ओर हमें पलटकर जाना है,'' उन्हें ख़ुशख़बरी दे दो। उन पर उनके रब की ओर से बड़ी कृपाएं होंगी, उसकी दयालुता उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं।''

(क़ुरआन, 2:155-157)

आज अगर हम देखें तो इन्सानियत सुकून की तलाश में है। इन्सान को सुकून इस्लाम की इस अवधारणा में मिल सकता है कि कोशिशें करना तुम्हारे वश में है और नतीजा ईश्वर के हाथ में है। यदि तुमने सच्चे मन से कोशिशें की हैं तो इसका नतीजा तुम्हें इस दुनिया में नहीं तो मौत के बाद आने वाले जीवन में ज़रूर मिलेगा। यदि इन्सान इस बात को अपने मन में बिठा ले तो वह अपने कार्यों के लिए पूरी कोशिश भी करेगा और तनाव या अवसादग्रस्त भी नहीं होगा। ■■

अनावश्यक विवादों में हिजाब

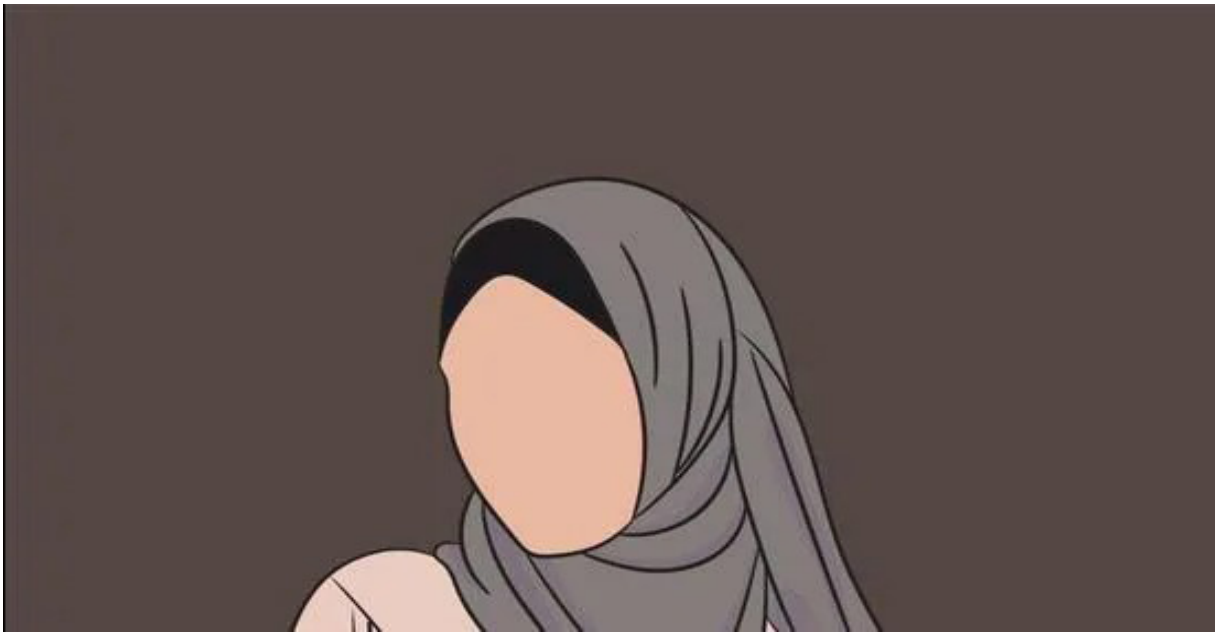

समसामयिक



वारिस हुसैन

मुस्लिम महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला हिजाब, जो इस समय देश में अकारण ही चर्चा का विषय बन गया है, वास्तव में महिलाओं की शिष्टता, शालीनता और लज्जा का प्रतीक है। हिजाब का आविष्कार कोई इस्लाम की देन नहीं है बल्कि सभी धर्मों में पाई जाने वाली और सदा से प्रचलित प्रथा को इस्लाम ने जारी रखा है। ईसाई और यहूदी धर्मों के साथ ही हिन्दू और सिख धर्मों में भी किसी न किसी रूप में हिजाब का समावेश देखा जा सकता है।

इतिहास के पन्नों को यदि उलटना शुरू किया जाए तो यह सत्य आसानी से देखा जा सकेगा कि हर समाज और सभ्यता ने सदा, पुरुषों और महिलाओं दोनों में शिष्टता, शालीनता और लज्जा को बड़ा महत्व दिया है। पचास वर्ष पूर्व के भारत पर ही यदि निगाह डाली जाए तो महिलाओं में घूंघट का प्रचलन आम बात थी। सिख महिलाओं में आज भी सर को ढककर रखने का प्रचलन पाया जाता है। इसी प्रकार पिछली सदी के पूर्व तक यूरोप में भी महिलाओं में परदे का चलन देखने को मिलता है।



एक उच्च आचरण युक्त समाज निर्माण के अपने लक्ष्य की प्राप्ति में इस्लाम ने पुरुष और महिलाओं के संबंधों को बड़ी सूक्ष्मता से परिभाषित किया है। इस्लाम का मानना है कि यदि इस सम्बन्ध को सभ्यता और शालीनता की सीमाओं में न बांधा गया तो एक दुसरे के उत्पीड़न और शोषण का ऐसा तूफान बरपा होगा जो समाज को ले डूबेगा। प्रथम चरण में आदेश दिया गया कि "ईमानवाले पुरुषों से कह दो कि अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें.....और ईमानवाली स्त्रियों से कह दो कि वे भी अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें। और अपने श्रृंगार प्रकट न करें, सिवाय उसके जो उनमें खुला रहता है। और अपने सीनों (वक्षस्थलों) पर अपने दुपट्टे डाले रहें और अपना श्रृंगार किसी पर ज़ाहिर न करें सिवाय अपने पतियों के.....।'' (क़ुरआन 24:30-31)

महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण रूपी तूफ़ान ने इस समय पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। कारण स्पष्ट है। स्त्री और पुरुष के अत्यंत नाजुक सम्बन्ध को ईश्वरीय मार्गदर्शन से हटकर अपने मनमाने आधार पर ढालने का निर्णय। पुरुष-प्रधान समाज में स्त्री आज मात्र एक भोग-विलास की वस्तु बनकर रह गई है। न उसकी लज्जा सुरक्षित है, न इज़्ज़त और न स्त्रीत्व। उसके अस्तित्व के साथ इस खिलवाड़ को आज विकास और उन्नति का मानक मान लिया गया है।

इस्लाम मात्र इतना ही आदेश देने पर नहीं रुका। अल्लाह ने, जो इंसानों की ताक़त और कमज़ोरी से भलीभांति परिचित है, उसने महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए बाहर निकलते समय चेहरे और सीने को ढकने का आदेश भी दिया।

"ऐ नबी! अपनी पत्नियों और अपनी बेटियों और ईमानवाली स्त्रियों से कह दो कि वे अपने ऊपर अपनी चादरों का कुछ हिस्सा लटका लिया करें। इससे इस बात की अधिक संभावना है कि वे पहचान ली जाएं और सताई न जाएं।"

(क़ुरआन 33:59)

अल्लाह द्वारा क़ुरआन में दिए गए इन्हीं आदेशों का प्रभाव है कि पन्द्रह सौ वर्षों से मुस्लिम समाज में, कुछ अपवादों को छोड़कर, परदे का प्रचलन निरंतर चला आ रहा है। हिजाब इसी परदे का एक रूप है। स्पष्ट है कि हिजाब करने का निर्णय इस्लामी शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा

है। इसको महिलाओं के शोषण के रूप में प्रस्तुत वही कर सकता है जिसको न ईश्वरीय मार्गदर्शन से कोई सरोकार हो और न ही वह ऐसे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता समझता हो।

इस्लाम मात्र आस्था का प्रचारक नहीं है। वह अपने समस्त आदेशों के पालन का भी आह्वान करता है और इसको मानव जीवन की सफलता से जोड़ देता है। हिजाब एक ओर जहां एक महिला का ईश्वरीय आदेशों के समक्ष समर्पण को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर यह उसके अपने शरीर और सौन्दर्य के अनावश्यक प्रदर्शन से इन्कार का प्रतीक भी है।

समाज में स्थान बनाने अथवा उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक हिजाब-धारी महिला अपनी सुन्दरता को शस्त्र के रूप में उपयोग करने से इन्कार करती है और यही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। हिजाब उसे पुरुषों की वासना में डूबी ललचाई आंखों से सुरक्षा प्रदान करता है।

हिजाब की उपयोगिता को आज के परिपेक्ष्य में समझना अत्यंत सरल है। हर तरफ़ जब महिलाओं की इज़्ज़त-आबरू दांव पर लगी हो, उसके लिए जब अकेले बाहर निकलना सुरक्षित नहीं रह गया हो, जब हर समय छेड़खानी और बलात्कार का भय छाया हो, ऐसे में उसकी अपनी सुरक्षा के लिए हिजाब एक अत्यंत सफल उपाय है।

आंकड़े बताते हैं कि जिन देशों में हिजाब का प्रचलन है वहां महिलाएं स्वयं को काफ़ी सुरक्षित महसूस करती हैं। वहां छेड़खानी और बलात्कार की घटनाएं कम देखने में आती हैं। वहां की महिलाओं में आत्मविश्वास अधिक होता है और वह हिजाब में रहते हुए अपनी पूरी जीवनचर्या को सरलता से निभा लेती हैं। हिजाब उन्हें अध्यात्मिक और शारीरिक शान्ति प्रदान करता है, जिससे वे पूर्ण विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत हो पाती हैं।



यह धारणा निराधार है कि हिजाब महिलाओं की उन्नति में रुकावट है। इस्लाम ने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया है। ''ज्ञान प्राप्त करना हर मुस्लिम पुरुष और महिला के लिए अनिवार्य है'' कह कर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने पुरुष और स्त्री दोनों को एक सतह पर खड़ा कर दिया। हिजाब न शिक्षा के मार्ग में बाधक है, न व्यवसाय में। बाधा यदि कोई है तो समाज के उन तत्वों की ओर से है जो मुस्लिम महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता से वंचित करना चाहता है और उनके सर पर लिपटे कपड़े के एक छोटे से टुकड़े के कारण उनकी शिक्षा के मार्ग में रोड़े अटकाता है।

आज के समाज को एक महिला की बुद्धिमत्ता और प्रज्ञता से अधिक उसकी सुन्दरता और शरीर की बनावट में दिलचस्पी नज़र आती है। वह अर्धनग्न महिला को सारी स्वतंत्रता देने को तैयार है, पर अपने शरीर को ढककर रखने और शालीनता की सीमा में रहने वाली महिला उसे एक आंख नहीं भाती। यह पाखंड है और इसको चारों ओर फलने-फूलने का अवसर इसलिए मिला हुआ है क्योंकि, आज का समाज ईश्वरीय शिक्षा और मार्गदर्शन का इन्कार करने का निर्णय ले चुका है।

हिजाब का महत्व और उसकी उपयोगिता समझने के लिए उस पूरी ईश्वरीय स्कीम को समझने की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत यह दुनिया कार्यरत है। और इसके लिए क़ुरआन ही एकमात्र स्रोत है। ■■



न भूलो फ़र्क़

जो है कहने वाले करने वाले में

व्यक्तित्व



नईम अलहिन्दी

किसी समाज में जब पीड़ा घनीभूत हो जाती है और अंधकार बढ़ जाता है तब सदियों में एक ऐसा युगदृष्टा जन्म लेता है, जो पूरे समाज को उसकी पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ ऐसा कर जाता है, जिससे पूरा समाज उसका क़र्ज़दार हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे ही युगदृष्टा सर सैयद अहमद ख़ान की, जिनके विराट व्यक्तित्व के किसी एक आयाम को देख पाने के लिए दृष्टिपट का विशाल होना भी आवश्यक है। वे एक ऐसे महान शिक्षाविद थे, जिन्होंने शिक्षा के मूलतत्व को जाना और देश को आज कैसी शिक्षा की ज़रूरत है और भविष्य में कैसी शिक्षा की ज़रूरत पड़ने वाली है, इन दोनों को समझते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की नींव डाली। आज यह विश्वविद्यालय भारत और भारतीय संस्कृति ही नहीं, समूचे विश्व के लिए उनकी एक अनुपम देन है। आज इस विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्रों में एक से बढ़कर एक विज्ञानी, साहित्यकार, गायक, कलाकार और राजनेता आदि शामिल हैं।

सर सैयद की सोच भारत को प्रत्येक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की थी। आधुनिक शिक्षा से युक्त युवाओं को देश के पुनर्निर्माण में लगाना इस उद्देश्य को सर सैयद ने ज़मीन पर उतारा। यक़ीनन 'एएमयू' सर सैयद के जीवन की सभी उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उनके व्यक्तित्व के कई और भी उल्लेखनीय आयाम हैं। सर सैयद अपने आप में एक संस्थान थे। सर सैयद अहमद ख़ान की दूरदृष्टि कहां तक

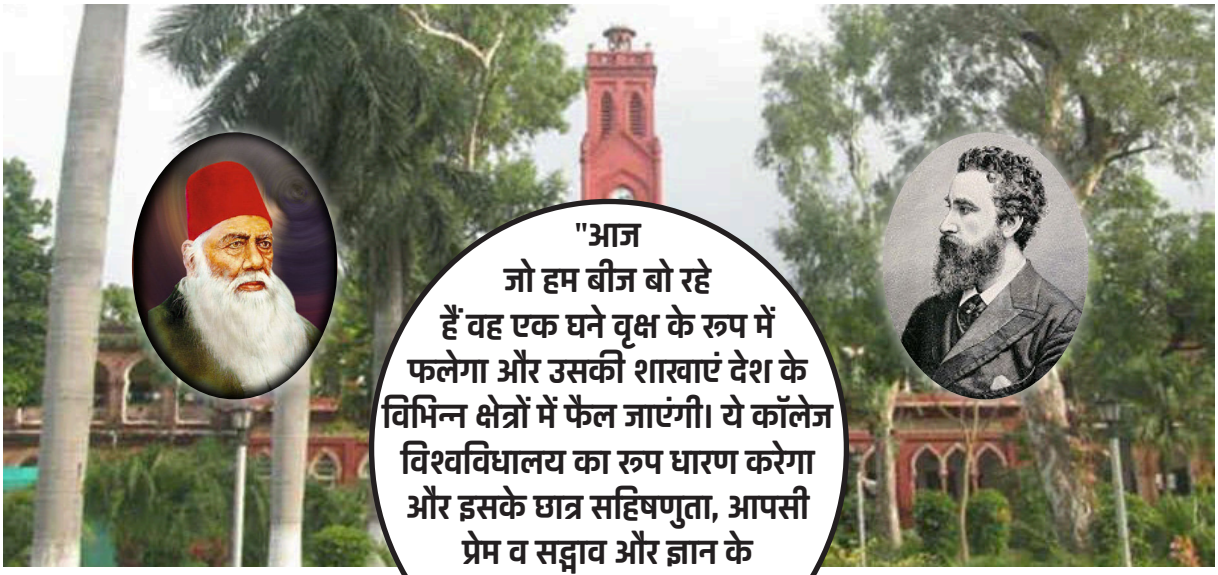

"आज जो हम बीज बो रहे हैं वह एक घने वृक्ष के रूप में फलेगा और उसकी शाखाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाएंगी। ये कॉलेज विश्वविधालय का रूप धारण करेगा और इसके छात्र सहिषणुता, आपसी प्रेम व सद्भाव और ज्ञान के सन्देश को जन-जन तक पहुंचाएंगे।

जाती थी, इस पर समग्र रूप से विचार करने के लिए उनके जीवन के विविध पहलुओं का अध्ययन आवश्यक है।

सर सैयद ख़ान का जन्म 27 अक्तूबर वर्ष 1817 ई॰ में दिल्ली में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में पिता की मौत के बाद उनके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और थोड़ी-सी शिक्षा के बाद ही सर सैयद को आजीविका कमाने में लगना पड़ा। सर सैयद ने वर्ष 1830 ई॰ में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में काम शुरू किया, किंतु वह हाथ पर हाथ धर कर बैठने वालों में से नहीं थे। तीन वर्ष बाद ही उन्होंने वर्ष 1841 ई॰ में मैनपुरी में उप न्यायाधीश की योग्यता हासिल कर ली, जिसके बाद उन्होंने विभिन्न स्थानों पर न्यायिक विभाग में काम किया।

एक लेखक के रूप सर सैयद अहमद ख़ान की उलब्धियां कम नहीं हैं। सर सय्यद ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर काफ़ी लिखा है। धैर्य और सहनशीलता की मूर्ति सर सैयद अमद ख़ान ने अपनी गंभीर सूझ-बूझ के आधार पर ब्रिटिश सरकार की चिंता किए बिना वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर वर्ष 1859 ई॰ में ''अस्बाबे-बग़ावते-हिन्द'' शीर्षक से एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी और उसका अंग्रेज़ी अनुवाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेज दिया।

सर सैयद के मित्र राय शंकर दास जो उन दिनों मुरादाबाद में मुंसिफ़ थे, उन्होंने सर सैयद को समझाया कि वे इन पुस्तकों को जला दें और अपनी जान ख़तरे में न डालें। किंतु सर सैयद ने उनसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उनका यह कार्य देशवासियों और सरकार की भलाई के लिए आवश्यक है। इसके लिए जान-माल का नुक़सान उठाने का ख़ौफ़ उनके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। विद्रोह जैसे जोखिम भरे विषय पर कुछ लिखने वाले सर सैयद पहले भारतीय व्यक्ति थे। सर सैयद ने दिल्ली की 232 इमारतों का ऐतिहासिक परिचय प्रस्तुत करते हुए ''आरारूर-सनादीन'' शीर्षक से एक शोधपरक पुस्तक लिखी जिसके आधार पर उन्हें रायल एशियाटिक सोसायटी लंदन का फेलो नियुक्त किया गया। बाद में गार्सा-द-तासी (Garsa Da Tasi) ने इसका फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया जो कि 1861 ई॰ में प्रकाशित हुआ।

सर सैयद की दूरदृष्टि अंग्रेज़ों के षड्यंत्र से अच्छी तरह परिचित थी। उन्हें पता था कि अंग्रेज़ी हुकूमत हिन्दुस्तान पर क़ाबिज़ हो चुकी है और सर सैयद ने उन्हें मात देने के लिए शिक्षा के मैदान को बेहतर समझा। इसी लिए उन्होंने अपने बेहतरीन लेखों के माध्यम से समाज में शिक्षा व संस्कृति की भावना जगाने की कोशिश की, ताकि शिक्षा के मैदान में कोई हम पर हावी न हो सके। इस दिशा में प्रयासरत सर सैयद ने वर्ष 1858 ई॰ में मुरादाबाद में एक आधुनिक मदरसे की स्थापना की। यह उन शुरुआती मदरसों में से था जहां वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा 1863 ई॰ में ग़ाज़ीपुर में भी एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की। उन्होंने ''साइंटिफिक सोसाइटी'' की स्थापना की। जहां शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण कई पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित किया गया।

सैयद अहमद ख़ान ने अपनी इंग्लैंड यात्रा (1869-70) के दौरान वहां के विश्वविद्यालयों में जाकर शिक्षा व संस्कृति का गहन अध्ययन किया। वहां की अंग्रेज़ी मैगजीन 'टैटलर' और

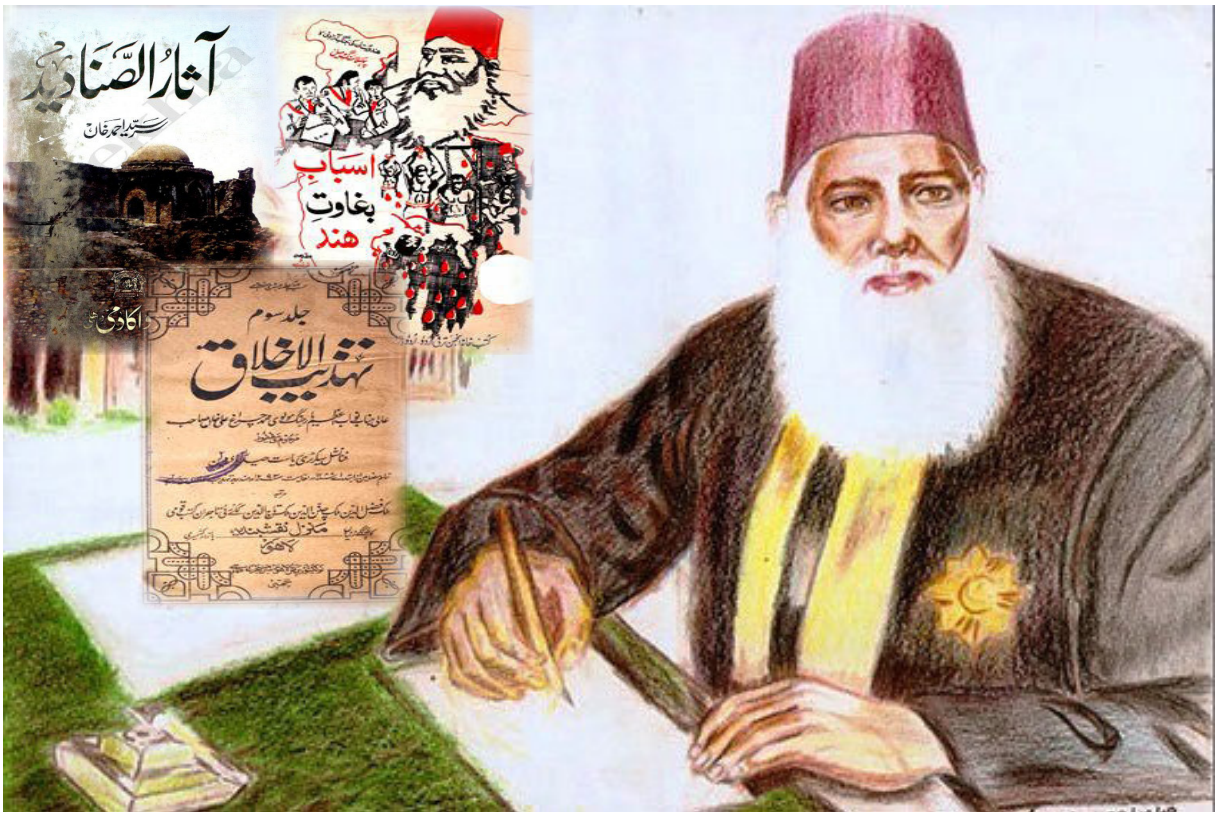

'गार्जियन' जोकि समाज सुधार के लिए प्रकाशित होती थीं, उनकी फाइलों को देखकर आप बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद आपने अपने समाज को जागरूक करने के लिए ''मुस्लिम कैंब्रिज'' जैसी संस्थाओं की योजना तैयार की। भारत लौटने पर इस उद्देश्य के लिए एक समिति बनाई और समाज के उत्थान और सुधार के लिए एक प्रभावशाली पत्रिका ''तहज़ीब-अल-अख़लाक़'' (सामाजिक सुधार) का प्रकाशन आरंभ किया। जब सर सैयद अहमद ख़ान का अलीगढ़ में शिक्षा-संस्थान खोलने का विचार हुआ तो उन्होंने अपनी सारी जमापूंजी यहां तक कि अपना मकान भी गिरवी रख दिया। उनके द्वारा स्थापित संस्थान ''अलीगढ मुस्लिम एंग्लो ओरिएण्टल कॉलेज'' ने बड़ी तेज़ी से प्रगति की और वर्ष 1920 में इस कॉलेज को विश्वविधालय के रूप ख्याति प्राप्त हुई।

इतिहास में यह बात दर्ज है कि 8 जनवरी वर्ष 1877 को इस कॉलेज की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर लार्ड लिटन के सम्मुख सर सैयद ने कहा था की ''आज जो हम बीज बो रहे हैं वह एक घने वृक्ष के रूप में फलेगा और इसकी शाखाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाएंगी। यह कॉलेज विश्वविद्यालय का रूप धारण करेगा और इसके छात्र सहिष्णुता, आपसी प्रेम, सद्भाव और ज्ञान के संदेश को जन-जन तक पहुंचाएंगे।''

वास्तव में आज इस संस्थान के छात्र दुनिया भर में फैले हुए हैं और दुनिया भर के छात्र-दात्राएं इस समय इस संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अमर उजाला दैनिक में प्रकाशित एक ख़बर के अनुसार, वर्ष 2020 जब एएमयू का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया गया तो देश और दुनियां में एक करोड़ से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑनलाइन संबोधन को सुना।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने शिक्षा को बढ़ावा देकर और समाज में जागरूकता पैदा करके आधुनिक भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया। उनके जीवन का दीया भले ही 27 मार्च 1898 को बुझ गया हो, लेकिन उसकी रोशनी आज भी अनगिनत लोगों को राह दिखा रही है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में प्रसिद्ध शायर अकबर इलाहाबादी ने क्या ख़ूब लिखा है-

''हमारी बातें ही बातें थी, सैयद काम करता था, न भूलो फ़र्क़, जो है कहने वाले करने वाले में।

कहे चाहे कोई कुछ भी, मैं तो ये कहता हूं ऐ अकबर, ख़ुदा बख्शे बहुत सी ख़ूबियां थी मरने वाले में।।''

■■



विज्ञापन के क्षेत्र में रोज़गार के बढ़ते अवसर

करियर



संपादन प्रभाग

सूचना और तकनीकी के विकास के साथ-साथ नौकरियों के क्षेत्र में नए-नए अवसर भी खुलते जा रहे हैं। जिस क्षेत्र में करियर बनाना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में प्रशिक्षण और जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते उपभोक्तावाद के बीच विज्ञापन का क्षेत्र भी करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा है। एक बार इस क्षेत्र में आने के बाद आगे बढ़ने के लिए कई तरह के रास्ते खुलते हैं, जिनको अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर चुना जा सकता है। ऑनलाइन मार्केटिंग हो या ऑफ़लाइन, दोनों के माध्यम से नए-नए उत्पादों का प्रचार-प्रसार हो रहा है। यह सब बिना विज्ञापन के संभव नहीं है।

किसी उत्पाद के क्रय-विक्रय को बढ़ाने में विज्ञापनों (एड) की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए पत्र-पत्रिकाओं, टीवी एवं सड़कों पर लगे होर्डिंग्स एवं सोशल मीडिया जैसे माध्यमों का सहारा लिया जाता है। दरअस्ल, इन विज्ञापनों को एडवर्टाइजिंग एजेंसियों एवं उनमें काम करने वाली टीम के द्वारा तैयार किया जाता है। विज्ञापनों को बनाने से लेकर उसे बाज़ार में सफलतापूर्वक पहुंचाने का श्रेय इसी टीम का होता है, जिससे कंपनियों को लाखों-करोड़ों रुपये का फ़ायदा होता है।

वर्तमान में उपभोक्ता पहले विज्ञापन देखता है। उसके बाद उत्पादों के प्रति उसकी रुचि पैदा होती है, तब वह उसको ख़रीदने पर विचार करता है। विज्ञापन का यह काम है कि वह उत्पादों का प्रचार इस ढंग से करे कि वह उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सके। कहना ग़लत न होगा कि ऐसी बहुत-सी चीज़ें जो लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हैं, जिसकी वास्तव में उपभोक्ता को कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, विज्ञापन का

कमाल है। विज्ञापन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री, डिज़ाइन, प्रस्तुति के पीछे इस पर काम करने वालों की मेहनत और योग्यता होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में सही फ़ैसला नहीं कर पाते।

शिक्षा : विज्ञापन के क्षेत्र में जाने के लिए कम से कम बारहवीं तक शिक्षित होना ज़रूरी है। इसके बाद किसी संस्था से इस क्षेत्र में कोई कोर्स या डिप्लोमा आदि होना चाहिए। इससे विज्ञापन के क्षेत्र में काम करने की बेसिक जानकारी मिल जाती है। इनमें बैचलर इन एडवरटाइजिंग एंड जर्नलिज़्म, डिप्लोमा इन एडवरटाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन, बीएससी इन मास कंम्यूनिकेशन, एडवरटाइजिंग एंड जर्नलिज़्म, बैचलर इन जर्नलिज़्म एंड मास कम्यूनिकेशन, बीबीए इन एडवरटाइजिंग और एमबीए इन एडवरटाइजिंग आदि कोर्स करके इस क्षेत्र के बारे में जानकारी के साथ प्रशिक्षण हासिल की जा सकती है। यह पहला क़दम होगा।

प्रमुख संस्थान

• मास कम्यूनिकेशन रिसर्च सेंटर (जामिया मिल्लिया इस्लामिया), नई दिल्ली

वेबसाइट-www.jmi.nic.in

• एनआरएआई स्कूल ऑफ़ मास कम्यूनिकेशन नई दिल्ली

वेबसाइट-www.nraismc.com

• एडिटवर्क्स स्कूल ऑफ़ मास कम्यूनिकेशन, नोएडा

वेबसाइट-www.editworks.co.in

अनुभव : इसके बाद किसी कंपनी में फ्रेशर के रूप में काम करके अनुभव हासिल करना चाहिए। इससे इस क्षेत्र के बारे में प्रैक्टिकली काफ़ी कुछ सीखने और समझने में सहायता मिलेगी। चूंकि यह क्षेत्र काफ़ी रचनात्मक है, इसलिए इसमें मेहनत, क्षमता, आत्मविश्वास के साथ कल्पनाओं की ऊंची उड़ान भी ज़रूरी है, ताकि इस क्षेत्र में नयी शैली और रचनात्मकता को जन्म दिया जा सके। प्रभावशाली स्लोगन, संवाद और प्रस्तुतिकरण के ज़रिये मार्केट में एक अलग पहचान बनाना भी एक विज्ञापन कंपनी की प्राथमिकता होती है, इसलिए वे ऐसे कर्मचारियों को वरीयता देते हैं, जो अपने काम में ज़्यादा दक्ष हों। इस क्षेत्र में जितनी ज़्यादा पहचान बनेगी, आगे बढ़ने के अवसर बनें रहेंगे।

किसी उत्पाद के क्रय-विक्रय को बढ़ाने में विज्ञापनों (एड) की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए पत्र-पत्रिकाओं, टीवी एवं सड़कों पर लगे होर्डिंग्स एवं सोशल मीडिया जैसे माध्यमों का सहारा लिए जाता है।

योग्यता : रचनात्मक सोच, कम्यूनिकेशन स्किल, भाषाओं की अच्छी जानकारी, डिज़ाइन, कंप्यूटर डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स, क्रिएटिव राइटिंग, आइडिया को विजुअल रूप देने की क्षमता, पंच लाइन बनाना, आदि विज्ञापन जगत में बहुत काम आता है। विज्ञापन का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और उसका विस्तार ही हो रहा है। इसमें रचनात्मक लोगों के लिए असीम संभावनाएं हैं। ऐसे लोगों के लिए यह करियर बनाने की सही जगह है। मोबाइल फ़ोन, टीवी, न्यूज़ पेपर, होर्डिंग्स आदि हर जगह पर विज्ञापन का बोलबाला है। जहां उत्पाद बनाने वाली कम्पनियां चाहती हैं कि उसके उत्पाद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, वहीं विज्ञापन कंपनियां चाहती हैं कि उसके पास ज़्यादा रचनात्मक लोग हों जो उत्पाद के प्रचार के लिए बेहतरीन रचनात्मकता दिखा सकें। हर कंपनी विज्ञापन के ज़रिये बढ़ रही है। इसी तरह आजकल हर व्यक्ति वही चीज़ ख़रीदता है जो ज़्यादा मशहूर होती है। ''जो दिखता है, वही बिकता है।'' विज्ञापन जगत में यह कहावत मूल मंत्र है।

इस क्षेत्र में अपनी रचनात्मकता, योग्यता और अनुभव के दम पर काफ़ी आगे बढ़ा जा सकता है। किसी बड़ी विज्ञापन कंपनी में काम किया जा सकता है। न्यूज़ चैनल, टीवी, रेडियो, न्यूज़ पेपर, पत्र, पत्रिकाओं, न्यूज़ पोर्टल आदि में नौकरी की जा सकती है। ख़ुद की विज्ञापन एजेंसी भी खोली जा सकती है । विज्ञापन के क्षेत्र में कई सारे विभाग होते हैं। अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे विज्ञापन इंडस्ट्री में उपलब्ध करियर के विकल्पों में मीडिया प्लानर, कॉपी राइटर, क्रिएटिव डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर, डायरेक्टर ऑफ़ एडवरटाइजिंग, डायरेक्टर ऑफ़ एडवरटाइजिंग, राइटर आदि की ज़रूरत होती है। यहां पर अपने अनुभव के आधार पर अपनी पसंद का विभाग चुना जा सकता है।

आमदनी : यदि आमदनी की बात करें तो शुरू में इस क्षेत्र में 12 से 17 हज़ार रुपये प्रतिमाह कमाया जा सकता है। जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा, वेतन और अन्य सुविधाओं में वृद्धि होती जाएगी। अच्छा अनुभव हासिल करके 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह तक कमाया जा सकता है।

■■

कहानी

पर्दा

यशपाल



चौधरी पीरबख़्श के दादा चुंगी के महकमे में दारोग़ा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा, पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाकख़ाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल-बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में ख़ास तरक़्क़ी न हुई; वही तीस और चालीस रुपए माहवार का दर्जा।

अपने ज़माने की याद कर चौधरी साहब कहते—वो भी क्या वक़्त थे! लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलट्टरी करते थे और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेज़ी पढ़कर लड़के तीस-चालीस से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदों पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद लीं।

माशाअल्ला, चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फ़ज़ल-क़ुरबान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें चार बेटे और तीन बेटियां दीं। चौधरी इलाहीबख़्श डाकख़ाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने चार बेटे और दो लड़कियां बख़्शीं।

चौधरी-ख़ानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर भी जगह तंग ही रही। दारोग़ा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोढ़े पर बैठ नैचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी ज़नाने में शामिल हो गई और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक न रहने पर भी घर की इज़्ज़त का ख़याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया क़िस्म का रहता।

ज़ाहिरा दोनों भाइयों के बाल-बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग-अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दारोग़ा साहब के ज़माने की

पलंग की रंगीन दरियां एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाई जाने लगीं।

तीसरी पीढ़ी के ब्याह-शादी होने लगे। आख़िर चौघरी-ख़ानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगहें तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाहीबख़्श के बड़े साहबज़ादे एंट्रेंस पास कर डाकख़ाने में बीस रुपये की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबज़ादे मिडिल पास कर अस्पताल में कम्पाउंडर बन गए। ज्यों-ज्यों ज़माना गुज़रता जाता, तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वज़ीफ़ा पाया। जैसे-तैसे मिडिल कर स्कूल में मुदर्रिस हो देहात चले गए।

चौथे लड़के पीरबख़्श प्राइमरी से आगे न बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ-बाप पर ख़र्च के बोझ के सिवा और है क्या? स्कूल की फ़ीस हर महीने, और किताबों, कापियों और नक़्शों के लिए रुपये-ही-रुपये!

चौधरी पीरबख़्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीबी की गोद भी जल्दी ही भरी। पीरबख़्श ने रोज़गार के तौर पर ख़ानदान की इज़्ज़त के ख़याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज़ियादा नहीं तो क्या, सफ़ेदपोश ख़ानदान की इज़्ज़त का पास तो था। मज़दूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ें न थीं। चौकी पर बैठते। क़लम-दवात का काम था।

बारह रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीरबख़्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया दो रुपया था। आसपास ग़रीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों- बीच, गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उग आई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमज़ानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धूआं और सज्जी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशाप में काम करने वाले कुली रहते!

इस सारी बस्ती में चौधरी पीरबख़्श ही पढ़े-लिखे सफ़ेदपोश थे। सिर्फ़ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरीजी, मुंशीजी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसीने गली में नहीं देखा। लड़कियां चार-पांच बरस तक किसी काम-काज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख़याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीरबख़्श ख़ुद ही मुस्कुराते हुए सुबह-शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते।

चौधरी की तनख़्वाह पंद्रह बरस में बारह से अठारह हो गई। ख़ुदा की बरकत होती है, तो रुपए-पैसे की शक्ल में नहीं, आल-औलाद की शक्ल में होती है। पंद्रह बरस में पांच बच्चे हुए। पहले तीन लड़कियां और बाद में दो लड़के।

दूसरी लड़की होने को थी तो पीरबख़्श की वाल्दा मदद के लिए आईं। वालिद साहब का इंतिक़ाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वाल्दा की फ़िक्र करने आया नहीं; वे छोटे लड़के के यहां ही रहने लगीं।

जहां बाल-बच्चे और घर-बार होता है, सौ क़िस्म की झंझटें होती ही हैं। कभी बच्चे को तकलीफ़ है, तो कभी जच्चा को। ऐसे वक़्त में क़र्ज़ की ज़रूरत कैसे न हो? घर-बार हो, तो क़र्ज़ भी होगा ही।

मिल की नौकरी का क़ायदा पक्का होता है। हर महीने की सात तारीख़ को गिनकर तनख़्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है। कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते। ज़रूरत पड़ने पर चौबरी घर की कोई छोटी-मोटी चीज़ गिरवी रखकर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपये के बारह आने ही मिलते। ब्याज़ मिलाकर सोलह आने हो जाते और फिर चीज़ के घर लौट आने की संभावना न रहती।

मुहल्ले में चौधरी पीरबख़्श की इज़्ज़त थी। इज़्ज़त का आधार था, घर के दरवाज़े पर लटका पर्दा। भीतर जो हो, पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच-खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते, तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई-धागा ले उसकी मरम्मत कर देते।

दिनों का खेल! मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते-चलते बिलकुल गल गए। कई दफ़े कसे जाने से पेच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फ़िक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते-सुनते तो उत्तर मिलता—"कौन बड़ी रक़म थमा देते हो? दो रुपल्ली किराया और वह भी छ:-छ: महीने का बक़ाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है। न हो मकान छोड़ जाओ। आख़िर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे-तैसे चौखट से टिका देते। रात-भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर न आ जाए।

मुहल्ले में सफ़ेदपोशी और इज़्ज़त होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता; पर चोर तो चोर है। छिनने के लिए कुछ न हो, तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा!

चोर से ज़ियादा फ़िक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवारा था। वह पर्दा भी तार-तार होते-होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक़ न रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज़ दरी दरवाज़े पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी—"बरे चौधरी, इस ज़माने में दरी यूं

काहे ख़राब करोगे? बाज़ार से ला टाट का टुकड़ा न लटका दो!" पीरबख़्श टाट की क़ीमत भी आते-जाते कई दफ़े पूछ चुके थे। दो गज़ टाट आठ आने से कम में न मिल सकता था। हंसकर बोले—होने दो क्या है? हमारे यहां पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगाई के इस ज़माने में घर की पांचों औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूं गिर रहे थे, जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं; पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफ़े किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहां? ख़ुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पायजामे में जब पैबंद संभालने की ताब न रही, मारकीन का एक कुर्ता-पायजामा ज़रूरी हो गया, पर लाचार थे।

गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ भी न हो, ग़रीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देखकर वह रुपया उधार दे सकता है। दस महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीरबख़्श को रुपये की ज़रूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खां से चार रुपये उधार ले लिए थे।

बबर अली खां का रोज़गार सितवा के उस कच्चे मुहल्ले में अच्छा-ख़ासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशाप के मज़दूर और कभी-कभी रमज़ानी घोबी सभी बबर मियां से क़र्ज़ लेते रहते। कई दफ़े चौधरी पीरबख़्श ने बबर अली को क़र्ज़ और सूद की क़िश्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी में बीच-बचावल भी करना पड़ा था। ख़ान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। चार आना रुपया महीने पर चार रुपया क़र्ज़ लिया। शरीफ़ ख़ानदानी, मुसलमान भाई का ख़याल कर बबर अली ने एक रुपया माहवार की क़िश्त मान ली। आठ महीने में क़र्ज़ अदा होना तय हुआ।

ख़ान की क़िश्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाज़े पर फ़जीहत हो जाने की बात का ख़याल कर चौधरी के रोएं खड़े हो जाते। सात महीने फ़ाक़ा करके भी वे किसी तरह से क़िश्त देते चले गए; लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपये का तीन सेर मिलने लगा, क़िश्त देना संभव न रहा। ख़ान सात तारीख़ की शाम को ही आया। चौधरी पीरबख़्श ने ख़ान की दाढ़ी छू और अल्ला की क़सम खा एक महीने की मुआफ़ी चाही। अगले महीने एक का सदा देने का वायदा किया! ख़ान टल गया।

भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की मां की तबीअत रोज़-रोज़ गिरती जा रही थी। खाया-पिया उसके पेट में न ठहरता। पथ्य के लिए उसको गेहूं की रोटी देना ज़रूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से रुपये का सिर्फ़ ढाई सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा, कभी प्याज़ के टुकड़े या धनिये की ख़ुश्बू के लिए ही मचल जाता। कभी पैसे की सौंफ़, अजवायन, काले नमक की ही ज़रूरत हो, तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाज़ार में तांबा का नाम ही नहीं रह गया! नाहक़ इकन्नी निकल जाती है। चौधरी को दो रुपये महंगाई-भत्ते के मिले; पर पेशगी लेते लेते तनख़्वाह के दिन केवल चार ही रुपये हिसाब में निकले।

बच्चे पिछले हफ़्ते लगभग फ़ाक़े से थे। चौधरी कभी गली से दो पैसे की चौराई ख़रीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा-कटोरा-भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले चार रुपयों में से सवा रुपया ख़ान के हाथ में घर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई।

मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। दो घंटे बाद जब समझा, ख़ान टल गया होगा और अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। ख़ान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर चार भूखे बच्चों, उनकी मां, दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने-फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ़ मां की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते—मौला सब देखता है, ख़ैर करेगा।

सात तारीख़ की शाम को असफल हो ख़ान आठ की सुबह ख़ूब तड़के चौधरी के मिल चले जाने से पहले ही अपना हंडा हाथ में लिए दरवाज़े पर मौजूद हुआ। रात-भर सोच-सोचकर चौधरी ने ख़ान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लालाजी चार रोज़ के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तख़त के बिना किसी को भी तनख़्वाह नहीं मिल सकी। तनख़्वाह मिलते ही वह सवा रुपया हाज़िर करेगा। माक़ूल वजह बताने पर भी ख़ान बहुत देर तक ग़ुर्राता रहा—"अम वतन चोड़के परदेस में पड़ा है, ऐसे रुपिया चोड़ देने के वास्ते अम यहां नहीं आया है, अमारा भी बाल-बच्चा है। चार रोज़ में रुपिया नई देगा, तो अम तुमारा...कर देगा।

पांचवें दिन रुपया कहां से आ जाता! तनख़्वाह मिले अभी हफ़्ता भा नहीं हुआ। मालिक ने पेशगी देने से साफ़ इनकार कर दिया। छठे दिन क़िस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी ख़ान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान-पहचान के कई आदमियों के यहां गए। इधर-उधर की बातचीत कर वे कहते—अरे भाई, हो तो बीस आने पैसे तो दो-एक रोज़ के लिए देना। ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी है।

उत्तर मिला—मियां, पैसे कहां इस ज़माने में! पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह

गया। हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमा!

दोपहर हो गई। ख़ान आया भी होगा, तो इस वक़्त तक बैठा नहीं रहेगा—चौधरी ने सोचा, और घर की तरफ़ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना ख़ान आया था और घंटे-भर तक ड्योढ़ी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल-ठेलकर गाली देता रहा है! पर्दे की आड़ से बड़ी बीबी के बार-बार ख़ुदा की क़सम खा यक़ीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं, ख़ान गाली देकर कहता—नई, बदज़ात चोर बीतर में चिपा

है! अम चार घंटे में पिर आता है। रुपिया लेकर जाएगा। रुपिया नई देगा, तो उसका खाल उतारकर बाज़ार में बेच देगा।... हमारा रुपिया क्या अराम का है?

चार घंटे से पहले ही ख़ान की पुकार सुनाई दी—चौदरी! पीरबख़्श के शरीर में बिजली-सी दौड़ गई और ये बिलकुल निस्सत्त्व हो गए, हाथ-पैर सुन और गला ख़ुश्क।

गाली दे पर्दे को ठेलकर ख़ान के दुबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। ख़ान आग-बबूला हो रहा था—पैसा नहीं देने का वास्ते चिपता है!...”

एक-से-एक बढ़ती हुई तीन गालियां एक-साथ ख़ान के मुंह से पीरबख़्श के पुरखों-पीरों के नाम निकल गईं। इस भयंकर आघात से पीरबख़्श का ख़ानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। ख़ान के घुटने छू, अपनी मुसीबत बता वे मुआफ़ी के लिए ख़ुशामद करने लगे।

ख़ान की तेज़ी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मज़दूर चौधरी के दरवाज़े के सामने इकट्ठे हो गए। ख़ान क्रोध में डंडा फटकार कर



कह रहा था—पैसा नहीं देना था, लिया क्यों? तनख़्वाह किदर में जाता? अरामी अमारा पैसा मारेगा। अम तुमारा खाल खींच लेगा। पैसा नई है, तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ़ज़ादा कैसे बनता?... तुम अमको बीबी का गैना दो, बर्तन दो, कुछ तो भी दो, अम ऐसे नई जाएगा।

बिलकुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा ख़ुदा से खान के लिए दुआ मांग पीरबख़्श ने क़सम खाई, एक पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं; ख़ान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतारकर बेच ले।

ख़ान और आग हो गया—अम तुमारा दुआ क्या करेगा? तुमारा खाल क्या करेगा? उसका तो जूता भी नई बनेगा। तुमारा खाल से तो यह टाट अच्चा। खान ने ड्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही, जैसे चौधरी के जीवन को डोर टूट गई। वह डगमगाकर ज़मीन पर गिर पड़े।

इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा—घर की लड़कियां और औरते पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों-बीच इकट्ठी हो खड़ी कांप रही थीं। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं, जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर-भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चीथड़े उनके एक-तिहाई अंग ढंकने में भी असमर्थ थे!

जाहिल भीड़ ने घृणा और शरम से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से ख़ान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक, पर्दे को आंगन में वापिस फेंक, क्रुद्ध निराशा में उसने “लाहौल बिला...! कहा और असफल लौट गया।

भय से चींख़कर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छंट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी पर का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था; परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलम्ब था, वह मर चुकी थी। ■■

कोरोना से मौतों पर मुआवज़े में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त



सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत के मामले में मुआवज़ा देने में देरी पर सख़्त नाराज़गी ज़ाहिर की है। कोर्ट ने अनाथ हुए बच्चों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि तकनीकी आधार पर राज्य सरकार मुआवज़े से इन्कार नहीं कर सकती। जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनके लिए आवेदन करना कठिन है, ऐसे में राज्यों को अनाथ हुए बच्चों तक पहुंचकर मदद देनी चाहिए। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने वकील गौरव बंसल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोरोना प्रभावितों के लिए मुआवज़े की मांग की गई थी बेंच ने आदेश दिया कि राज्य क़ानूनी सेवा प्राधिकरण ऐसे परिवारों की तलाश करे, जिन्होंने महामारी के दौरान अपने परिजनों को खो दिया, ताकि उन्हें मुआवज़ा मिल सके।

कोरोना से हुई मौतों पर मुआवज़े के दावों से जुड़े जो आंकड़े कोर्ट को दिए गए हैं, वे विरोधाभासी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से हुई मौतों की सरकारी संख्या 1,41,737 बतायी है, जबकि मुआवज़े के दावों की संख्या 2,13,890 हैं।

पत्रकारों पर हमले बढ़े

राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप (आरआरएजी) ने गत दिनों जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 2021 में 6 पत्रकारों की हत्या कर दी गयी, जबकि 108 पर घातक हमले किये गये। इसके अलावा 13 मीडिया हाउसेज को भी निशाना बनाया गया। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के शीर्षक के तहत जारी रिपोर्ट में भारत में पत्रकारों के सामने मौजूद चुनौतियों के अलावा उन पर होने वाले हमलों को लेकर चर्चा की गयी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया की आजादी की सबसे ज़्यादा दुर्दशा जम्मू व कश्मीर में है, जहां पत्रकारों को अकसर थानों में तलब कर धमकाया गया, उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई, उनके घरों पर छापे मारे गए और सुरक्षा बलों ने उन्हें हिंसा का निशाना बनाया।



रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले में कश्मीर के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा सूची में सबसे ऊपर हैं। इन राज्यों में पिछले साल पत्रकारों और मीडिया हाउसेज को टारगेट किया गया। दो पत्रकारों की उत्तर प्रदेश में, दो की बिहार में जबकि एक की आंध्र प्रदेश और एक की महाराष्ट्र में हत्या की गयी।

WORLD DEMOCRACY INDEX

भारत के लोकतंत्र स्कोर में भारी गिरावट

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अनुसार, दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश नॉर्वे है जिसके बाद न्यूजीलैंड, फिनलैंड हैं। 167 देशों की इस सूची में केवल 21 देशों को 'पूर्ण लोकतंत्र' श्रेणी में रखा गया और अफ़गानिस्तान को सबसे कम लोकतांत्रिक देश बताया गया। भारत इस सूची में 'त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र' की श्रेणी में 46वें स्थान पर है। ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स के अनुसार, हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर नकेल कसने में भारत सरकार की विफलता देश के लोकतंत्र स्कोर पर भारी पड़ रही है, जिसमें हाल के वर्षों में काफ़ी गिरावट आई है।

देश की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी है भाजपा–एडीआर



एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के एक विश्लेषण से यह जानकारी मिलती है कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे ज़्यादा अमीर राजनीतिक पार्टी है। एडीआर की इस रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 4,847.78 करोड़ की संपत्ति घोषित की है, जोकि अन्य सभी राजनीतिक दलों से अधिक है। एडीआर के अनुसार, इस दौरान सात राष्ट्रीय और 44 क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति क्रमशः 6,988.57 करोड़ रुपये और 2,129.38 करोड़ रुपये थी। क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी द्वारा सबसे अधिक संपत्ति 563.47 करोड़ रुपये (26.46 प्रतिशत) घोषित की गई. इसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने 301.47 करोड़ रुपये और अन्नाद्रमुक ने 267.61 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषणा की।

आख़िरी पन्ना



अमरपाल सिंह



नैतिकता एवं सदाचरण

क़ुरआन की सामूहिक मांग

नैतिकता की अनेक बातें, अनेक सिद्धान्त और अनेक उदाहरण-अन्तर्कथाएं, दिव्य क़ुरआन में सुस्पष्ट रूप से जगह-जगह दृष्टिगोचर होती हैं। इसमें उनका समुचित विवेचन भी किया गया है और उनके परिणाम भी स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। क़ुरआन मजीद की सूरा 24 की आयत 35 में बताया गया है कि अल्लाह धरती और आकाश का प्रकाश है। उसी के प्रकाश से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्रकाशित है। सम्पूर्ण जगत् में उसी की छवि व्याप्त हो रही है। वह सर्वव्यापी है। वही है जो सर्वत्र कल्याण रूप होकर बसता है। वही ब्रह्मांडीय चेतना का स्रोत है।

सूरा 3 की आयत 103 में कहा गया है कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ो और फूट में न पड़ो। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को परस्पर एक-दूसरे से जोड़ा है। तुम उसकी कृपा से परस्पर भाई-भाई हो।

अतः नैतिकता का, सदाचरण का, यह तक़ाज़ा है कि जब अल्लाह, ईश्वर, सर्वव्याप्त है, सबमें है, तो हमारा प्रेम भी सब से होना चाहिए। अपने निजी परिवार, अपनी निजी जाति, अपने निजी देश तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। तदनुसार, आचरण भी सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय ही करना चाहिए। विश्व बन्धुत्व की भावना से तदनुकूल आचरण करना हमारा कर्तव्य है।

क़ुरआन मजीद में प्रदर्शित नैतिकता के उदात्त स्वरूप को हमें सहर्ष अपना समर्थन देना चाहिए, और इसके औचित्य और महत्ता को पूर्णरूपेण स्वीकार करना चाहिए। यह मात्र पठनीय, मननीय, ही

नहीं, अपितु अनुकरणीय- अनुसरणीय भी है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) द्वारा सौंपी इस अमूल्य विरासत के होते हुए भी आज हमारे-मानव और मानवता के पतन का एक मात्र कारण यही रहा है कि हम ने उसकी उपेक्षा की। उसके उपदेशों, उसकी शिक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान केन्द्रित नहीं किया। उसे स्याही से लिखा काग़ज़ों का एक सामान्य पुलिंदा मात्र ही समझा। हां, जिन लोगों ने इसे अल्लाह का पाक कलाम, ईश्वर की पवित्र वाणी, समझकर इसका आदर किया, इसे अपने व्यावहारिक जीवन में प्रकट किया, उन्हें लोक-परलोक में अवश्य सफलता प्राप्त हुई। वे धन्य हैं।

पवित्र क़ुरआन मनुष्य की त्रिविध मानसिकता- सत्व, रजस, तमस- के लोगों की प्रवृत्ति के अनुसार नैतिकता का, सदाचरण का, त्रिविध स्वरूप भी प्रस्तुत करता है। इसका सन्देश पृथ्वी के हर मानव के लिए आत्म विकास का सिंहद्वार खोलता है।

सूरा 4 की आयत 36 में बताया गया है कि अल्लाह घमंड करनेवाले, गर्व-ग़ुरूर करनेवाले, इतराकर चलनेवाले, को पसन्द नहीं करता है। सूरा 31 की आयत 18 में कहा गया है कि धरती पर अकड़कर न चल। अल्लाह किसी आत्मश्लाघी को पसन्द नहीं करता। आयत 19 में परामर्श दिया गया है कि धरती पर सीधी-सादी चाल चल और अपनी आवाज़ विनम्र, नीची, रख।

उपरोक्त उपदेश सामान्यतः सभी लोगों के लिए हैं, किन्तु विशेषतया उन लोगों के लिए हैं जो सत्व प्रधान, देव मानव जैसी, प्रवृत्ति के हैं। उनको यह वाणी विशेष रूप से उपदेश देती है कि अपने घमंड, गर्व-ग़ुरूर, अहंकार का दमन करो, निरोध करो। अन्यथा गर्व के कारण, ग़ुरूर की वजह से, अहंकार के कारण सत्व प्रधान प्रकृति के मानव भी अपने स्थान से अलग हो सकते हैं। यह उनके लिए विशेष चेतावनी है।

सूरा 2 की आयत 3 में ज़कात (ग़रीबों की सहायता के लिए अनिवार्य दान) देने, को इंसान का 'फ़र्ज़' बताया गया है। क़ुरआन मजीद से रहनुमाई पाने



के लिए अल्लाह की राह में ज़कात देना ज़रूरी बताया गया है। आयत 272 और 273 में बताया गया है कि इस कृत्य से इंसान का 'अपना भला' होता है। दूसरे की भलाई इसमें गौण स्थान रखती है। सूरा 3 की आयत 92 में कहा गया है कि इंसान 'नेकी' के दर्जे को तब तक नहीं पहुंच सकता, जब तक वह अल्लाह की दी हुई उन चीज़ों में से न ख़र्च करे।

स्पष्ट है कि 'अल्लाह की दी हुई चीज़ें' कोई भौतिक हैं, कोई अभौतिक और कोई आत्मिक। कृषि और उद्योगों की उपज, उद्यानों की उपज, पशु-पक्षी, मुद्रा, वैभव के अन्य साधन आदि भौतिक हैं। बल, बुद्धि, विद्या आदि अभौतिक हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आदि मानसिक हैं। पुत्र, पत्नी-पति आदि भौतिक और सामाजिक होते हुए भी दैविक हैं। श्रम और समय (ज़िन्दगी) अभौतिक हैं। ये सभी मनुष्यों को प्रिय हैं, कोई कम, कोई अधिक और कोई सर्वाधिक। इन सभी प्रकार की चीज़ों की ज़कात अल्लाह की राह में देना मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी होता है।

जितनी ही प्रिय वस्तु की ज़कात दी जाए उतना ही उत्तम है। सर्वाधिक प्रिय वस्तु की ज़कात सर्वोत्तम है। हमारी समझ में इन सभी वस्तुओं में 'अहम्' व्यक्ति को सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए अहम् की ज़कात अल्लाह की राह में देना सर्वोत्तम है। इसी का नाम ईश्वर के प्रति, पूर्णतः आत्मसमर्पण करना भी है, इसी का नाम 'इस्लाम' है। इसी 'अहम्' की ज़कात हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने अल्लाह की राह में दी थी, पूर्णतः आत्मसमर्पण किया था, और परिणाम स्वरूप वे 'ख़लीलुल्लाह' (अल्लाह के दोस्त) बन गए। भौतिक वस्तुओं में 'पुत्र' सर्वाधिक प्रिय होता है। हज़रत इब्राहीम ने अपने प्यारे पुत्र की भी ज़कात अल्लाह की राह में दे दी जिस पर उसने सहर्ष अपनी रज़ामंदी व्यक्त की। अल्लाह ने इस ज़कात को, इस समर्पण को, इस क़ुरबानी को, बहुत पसन्द किया। यह उनकी अल्लाह के मार्ग में एक श्रेष्ठ ज़कात, महान त्याग, महादान था।

धन-दौलत की ज़कात की महत्ता

से सभी सामान्यतः परिचित हैं। विद्या की ज़कात देना, विद्यादान, श्रम की ज़कात, श्रम दान की उपयोगिता से सर्वसाधारण जन वाक़िफ़ हैं। अतः अल्लाह की दी हुई सभी वस्तुओं की, जो प्रिय हैं, की ज़कात, दान, त्याग, करना मानव के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। शर्त यही है कि वह समाज-हित में हो, अल्लाह की राह में हो। क्रोध की ज़कात देने का मतलब यह होता है कि आदमी दूसरों के लिए दया दर्शाने वाला बन जाए। लोभ की ज़कात देने का अर्थ यह है कि मनुष्य के अन्दर अधिकाधिक दानशीलता का भाव उत्पन्न हो जाए। ईर्ष्या की ज़कात देने का तात्पर्य है कि मानव में सबका हितैषी बनने की भावना उदित हो जाए। वह सब का शुभ और कल्याण चाहने लगे।

ये गुण किसी व्यक्ति में आ जाएं, तो उसमें अन्य समस्त वांछित गुण स्वतः उत्पन्न हो जाएंगे। मन स्वतः शुद्ध हो जाएगा और बुद्धि निर्मल, विवेकशील और आत्मा प्रकाशमान। फिर किसी भी शुभ काम में वह अपनी 'प्रिय वस्तु' को सहर्ष और सहज भाव से ख़र्च कर देगा।

सूरा 9 की आयत 103 में ज़कात को मन के शुद्धीकरण का एक साधन बताया गया है। सूरा 27 की आयत 3 में ज़कात को दीन पर, धर्म पर, आरूढ़ होने के लिए प्रथम शर्त बताया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ज़कात का मन से और अध्यात्मिकता से गहरा सम्बन्ध है।

उपरेक्त व्यवस्था रजस प्रवृत्ति के लोगों के लिए विशेष रूप से उपदेश करती है। ऐसे लोगों को यह बताना अभीष्ट है कि अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता-मनोवेगों के चक्कर में न उलझकर दानशील बनकर सब को अपना समझो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सूरा 57 की आयत 11,सूरा 58 की आयत 12 और सूरा 9 की आयत 103 से सदक़ा, दान, ख़ैरात को आत्मविकास और जन्नत प्राप्ति का साधन बताया गया है।

सूरा 28 की आयत 54 में कहा गया है कि बुराई का बदला भलाई से दो। सूरा 41 की आयत 34 में भी यही उपदेश दिया गया है कि बुराई को भलाई से दूर करो। सूरा 42 की आयत 37 में क्रोध आने पर क्षमा करने का आदेश दिया गया है। आयत 43 में 'सब्र' करना अपराधी को क्षमा करना बड़े साहसियों का काम बताया गया है।

नैतिकता की यह व्यवस्था विशेष रूप से तामसी प्रवृत्ति के ऐसे लोगों को उपदेश देने के लिए की गई है जो दानवों की तरह, शैतानों की तरह, अपरिमित अनर्थ और अन्याय करने की शक्ति रखते हैं। उनके लिए इस पवित्र वाणी का सन्देश है कि 'दयावान और कृपाशील बनें। उनके प्रति भी दयालु बनो, जिनके प्रति तुम निर्दयी बनने का कोई अवसर पाते हो। यही शुभ सन्देश क़ुरआन मजीद हम सबको देता है और आशा रखता है कि हम अपने जीवन में उसपर अमल पैरा रहेंगे।

सूरा 4 की आयत 1 में बताया गया है कि संसार के सभी मनुष्य एक ही मां (हज़रत हौवा अलै.) और एक ही बाप (हज़रत आदम अलै०) की सन्तान हैं। इस प्रकार अल्लाह ने एक ही जीव (हज़रत आदम अलै०) से सभी मनुष्यों को पैदा किया। अतः संसार में एक ही मानव-जाति के लोग बसते हैं। क़ुरआन मजीद की यह व्यवस्था सबको भाई-भाई का समान स्तर प्रदान करती है। अतः सब एक-दुसरे की सहायता करें। यही क़ुरआन मजीद का सुनिश्चित आदेश है। सारे संसार में मनुष्य की उत्पत्ति का एक ही जीव (हज़रत आदम अलै०) से होने का उल्लेख सूरा 7 की आयत 189 में भी किया गया है। सूरा 49 की आयत 13 में भी एक पुरुष और स्त्री से समस्त मानव की उत्पत्ति बताई गई है। इसमें कहा गया है कि जाति और वंश मात्र 'पहचान' के लिए निर्मित किए गए हैं। यहां 'वसुधैव कुटुम्बकम' की अवधारणा की स्थापना हुई है। सूरा 28 की आयत 17 में स्पष्ट बयान किया गया है कि अपराधियों, ज़ालिमों, अन्याय कर्त्ताओं और आततायियों के सहायक, साथी और पक्षधर कदापि न बनो। क्योंकि अल्लाह तुम्हारी सहायता करता है और वह ज़ालिमों, अपराधियों और शैतानी हरकत करनेवालों का कदापि सहायक नहीं है। अतः अपराधियों और ज़ालिमों की ओर मत झुको, उनकी हिमायत मत करो।

इस प्रकार नैतिकता के तमाम पहलुओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए क़ुरआन अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री नहीं समझ लेता, अपितु वर्तमान समय में जब कि विश्व में मानवता विक्षुब्ध और अशांत है, नैतिकता की उपादेयता को आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी बताया है। क़ुरआन इसे मानव धर्म के रूप में स्वीकार करने पर बल देता है। बहुत से दार्शनिक एवं विद्वान भी यह मानते हैं कि धर्म एक उच्चतर और प्रकाशमान नैतिकता ही है। इसके अवलंबन को स्वीकार कर जीवन को गठित करने से प्रेम, उदारता, सौहार्द, धैर्य, साहस, दया और करुणा जैसी मानव-हृदय की सहज सद्वृत्तियों का विकास होता है। इसी से व्यक्तित्व महान बनता है। इसी से अलौकिक समझे जाने वाले गुणों और मानदंडों को लौकिक बनाकर मानव कल्याण का कार्य सहज और सरल हो जाता है। इस्लाम धर्म और पवित्र क़ुरआन का यही लक्ष्य है। ■■


مومن وہ ہے
جس سے لوگ اپنی جان اور مال
کے بارے میں امن میں رہیں۔
(نسائی:4998)
With Best Compliments From
Quality Foods
SEAFOODS PROCESSORS & EXPORTERS
AN ISO 9001 , 2008 COMPANY
Factory: Plot Nos. 5B 39 & 5B 50A,
Cuncolin Industrial Estate
Cuncolin - Goa, 403703
Tel,: 91 832 2865222 (8 Lines)
E-mail: qualityfoods77@gmail.com /

KANTI Monthly, New Delhi
MARCH 2022
Posted on 20-21 February 2022
Published on 18 February 2022
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

اللہ کے رسولؐ نے ارشاد فرمایا۔
میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں
(مؤطہ امام مالک:705)

With Best Compliment from

sagar

SAGAR FEEDS & FOODS PROCESSING INDUSTRIES

Plot No. L-21, Gidc Concolim Industrial Estate
Concolim-403703 GOA
Email: sagarffpi@gmail.com